Bureau of Energy Efficiency
Ministry of Power, Government of India

Self-ballasted LED Lamps

Self-ballasted LED Lamps	Clause of EC Act,2001	Notification/Regulations/Amendment & Date	Reference IS/IEC Standards
Principal Notification	14(b)	S.O. 2792(E) dated 27th, June 2023	IS 16102 (Part I and II) With all amendments
Amendment IV	14(a)	S.O. 2793(E)dated 27th, June 2023	
Principal Notification	14(d)	No. BEE/S&L/LED/52/2023 dated 22nd, June 2023	
Amendment III	14(a) Amendment III	S.O. 2178 (E) dated 2nd July,2020	
Amendment II	14(a) Amendment II	S.O. 3631 (E) dated 9th October, 2019	
Amendment I	14(a) Amendment I	S.O. 938 (E) dated 21st February, 2019	
Principal Notification	14(a)	S.O. 4097 (E) dated 28th December, 2017	

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27062023-246841
CG-DL-E-27062023-246841

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2672]	नई दिल्ली, मंगलवार, जून 27, 2023/आषाढ़ 6, 1945
No. 2672]	NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 27, 2023/ASHADHA 6, 1945

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून , 2023

का.आ. 2792(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (ख) और (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से सामान्य प्रकाश सेवाओं के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए उन सेल्फ बालास्टिड एलईडी लैम्प को विनिर्दिष्ट करती है जो 3 वाट से 35 वाट तक क्षमता के हैं, जो सिंगल फेज अल्टरनेटिंग करंट 250 वोल्ट, 50 हट्र्ज पर काम करते हैं और यह निर्देश देती है कि ऐसे किसी भी उपकरण या उपकरणों के वर्ग जो विनिर्माण या क्रय-विक्रय या बिक्री हेतु आयात किए जाते हैं, उनके लेबल पर विवरण इस तरह से संप्रर्दशित किए जाएंगे जैसे कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सेल्फ बालास्टिड एलईडी लैम्प के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति), (संशोधन) विनियम 2023 में विनिर्दिष्ट है।

[फा. सं. 10/1/2023 - ईसी]

अजय तिवारी, अपर सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 2023

S.O. 2792(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (d) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby specifies the self-ballasted LED lamps for general lighting services having rated power from 3 watts to 35 watts, that works on single phase alternating current supply up to and including 250V, 50 Hz for the purpose of the said Act and direct that any such appliances or class of appliances being manufactured or sold or purchased or imported for sale shall display particulars on labels in such manner, as specified in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Self-ballasted LED Lamps), Regulations, 2023.

[F. No. 10/1/2023-EC]

AJAY TEWARI, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून , 2023

का.आ. 2793(अ).—केंद्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4097 (अ) तारीख 27 दिसम्बर, 2017 का और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 3 के उप-पैरा (3) में, (i) "1 जनवरी, 2021 से 30 जून, 2023" शब्दों और अंकों, दोनों स्थानों पर जहां ये आते हों के स्थान पर "1 जुलाई, 2023 से 30 जून, 2026" शब्द और अंक रखे जाएंगे। (ii) सारणी 3.2 के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :-

सारणी 3.2

1 जुलाई, 2023 से 30 जून, 2026 तक विधिमान्य	
स्टार रेटिंग	प्रदीप्त दाता (लुमेन / वाट)
1*	≥90 और <105
2**	≥105 और <120
3***	≥120 और <135
4****	≥135 और <150
5*****	≥150

[फा. सं. 10/1/2023 - ईसी]

अजय तिवारी, अपर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 4097 (अ), तारीख 27 दिसंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा का.आ. 2178 (अ) तारीख 01 जुलाई, 2020 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 2023

S.O. 2792(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (d) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby specifies the self-ballasted LED lamps for general lighting services having rated power from 3 watts to 35 watts, that works on single phase alternating current supply up to and including 250V, 50 Hz for the purpose of the said Act and direct that any such appliances or class of appliances being manufactured or sold or purchased or imported for sale shall display particulars on labels in such manner, as specified in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Self-ballasted LED Lamps), Regulations, 2023.

[F. No. 10/1/2023-EC]

AJAY TEWARI, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून , 2023

का.आ. 2793(अ).—केंद्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4097 (अ) तारीख 27 दिसम्बर, 2017 का और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 3 के उप-पैरा (3) में, (i) "1 जनवरी, 2021 से 30 जून, 2023" शब्दों और अंकों, दोनों स्थानों पर जहां ये आते हों के स्थान पर "1 जुलाई, 2023 से 30 जून, 2026" शब्द और अंक रखे जाएंगे। (ii) सारणी 3.2 के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :-

सारणी 3.2

1 जुलाई, 2023 से 30 जून, 2026 तक विधिमान्य	
स्टार रेटिंग	प्रदीप्त दाता (लुमेन / वाट)
1*	≥90 और <105
2**	≥105 और <120
3***	≥120 और <135
4****	≥135 और <150
5*****	≥150

[फा. सं. 10/1/2023 - ईसी]

अजय तिवारी, अपर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 4097 (अ), तारीख 27 दिसंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा का.आ. 2178 (अ) तारीख 01 जुलाई, 2020 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 2023

S.O. 2793(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, further to amend the notification of the Government of India, Ministry of Power published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 4097 (E), dated the 27th December, 2017, namely:—

In the said notification, in paragraph 3, in sub-paragraph (3), (i) for the figures, letters and words "1st January, 2021 to 30th June, 2023", occurring at both the places, the figures, letters and words "1st July, 2023 to 30th June, 2026" shall be substituted.

(ii) for the table 3.2, the following TABLE shall be substituted, namely:-

TABLE 3.2

Valid from 1st July, 2023 to 30th June, 2026	
Star rating	**Luminous Efficacy (Lumen/Watt)**
1*	≥90 and <105
2**	≥105 and <120
3***	≥120 and <135
4****	≥135 and <150
5*****	≥150

[F. No. 10/1/2023-EC]

AJAY TEWARI, Addl. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 4097 (E), dated the 27th December, 2017, and last amended S.O. 2178 (E) dated the 1st July, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24062023-246800
CG-DL-E-24062023-246800

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 439]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 23, 2023/आषाढ़ 2, 1945
No. 439]	NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 23, 2023/ASHADHA 2, 1945

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2023

सं. बीईई/एसएंडएल/एलईडी/52/2023.—ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 58 की उप-धारा (1) के अधीन यथाअपेक्षित प्रारूप विनियम अर्थात् ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (स्व- वालास्टिड एलईडी लैम्प के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम 2023 को अधिसूचना संख्या बीईई/एसएंडएल/एलईडी/52/2023 द्वारा ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उक्त अधिसूचना में राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की विविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आक्षेप या सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किया गया था।

और उक्त प्रारूप विनियम की प्रतियां जनता को 31 मार्च, 2023 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और जबकि पूर्वोक्त अवधि के भीतर उक्त प्रारूप विनियमों की बाबत कोई सुझाव या टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं;

अत:, अब, ब्यूरो, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52), की धारा 13 की उपधारा (2) के खंड (ढ) और धारा 14 के खंड (घ) के साथ पठित धारा 58की उपधारा (2) के खंड (झ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (स्व-बालास्टिड एलईडी लैम्प के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम 2017 की उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित विनियमों का संशोधन करता है, अर्थात् :-

1. **लघु शीर्षक और प्रारंभ - (1)** ये विनियम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति), संशोधन विनियम 2023 कहे जायेंगे।

   (2) ये विनियम सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तारीख से लागू हो जायेंगे।

2. **परिभाषा –(1)** इन विनियमों में यदि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो तो –

   (क) "अधिनियम" से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 (2001 का 52) अभिप्रेत है;

   (ख) "फैमिली मॉडल" से वैसे मॉडल का समूह जिनके लिये कार्यनिष्पादन के सभी मानक समान हैं;

   (ग) " प्ररूप" से इन विनियमों से संबंधित प्ररूप अभिप्रेत है;

   (घ) "लेबल" से सेल्फ बालास्ट लैंप से लगी या इसपर दीख रही किसी भी प्रकार की लिखित, छपी, चिन्हित, मुहर लगी या ग्राफिक सामग्री अभिप्रेत है;

   (ङ) "लेबल अवधि" से अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा उपभोग मानदंड के अंतर्गत प्रकाश क्षमता की विधिमान्यता अवधि अभिप्रेत है;

   (च) परंतु प्रदीप्त क्षमता की विधिमान्यता समाप्त होने की अवधि अधिसूचित नहीं है तो यह केन्द्रीय सरकार द्वारा इसके लिये नए मान अधिसूचित होने तक विधिमान्य माना जायेगा;

   (छ) "अनुज्ञापत्रधारी" से ऐसा व्यक्ति या एजेंसी जिसे विनियम 7 के अधीन लेबल लगाने की अनुज्ञा दी गयी है अभिप्रेत है;

   (ज) "शिड्यूल" से इन विनियमों से संलग्न निर्धारण;

   (झ) "सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप" से अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट उपस्कर अभिप्रेत है;

   (ञ) "स्टार रेटिंग" से अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित प्रकाशन क्षमता मानक के आधार पर सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप के लेबल पर प्रदर्शित ऊर्जा सक्षमता की श्रेणी अभिप्रेत है;

   (ट) "व्यापारी या विक्रेता" से लेबल लगे सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप की बिक्री या वितरण करने वाले अभिप्रेत है और इसमें दुकानदार, व्यापारी, निर्माता और अनुज्ञापत्रधारी आते हैं जिन्हें सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप पर लेबल लगाने की अनुज्ञा दी गयी है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

3. **लेबल पर प्रदर्शित किया जाने वाला विवरण – (1)** प्रत्येक सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप के लेबल पर निम्नलिखित विषय प्रदर्शित किया जायेगा –

   (क) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का लोगो;

   (ख) विनिर्माता या आयातक और ब्रांड का नाम;

   (ग) ट्रेड नाम और संख्या;

   (घ) मॉडल और विनिर्माण या आयात वर्ष;

(ङ) विशिष्ट श्रृंखला कोड;

(च) वाट में बिजली उपभोग;

(छ) ल्यूमेन में ल्यूमिनस फ्लक्स;

(ज) एलएम/डबल्यू में प्रकाशन प्रभावकारिता;

(झ) सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप का स्टार लेवल;

(ञ) लेबल अवधि;

(ट) केडबल्यूएच में बिजली बचत;

(ठ) केजीसीओ$_2$ में कार्बन डायक्साइड उत्सर्जन में कमी;

(2) लेबल का डिजाइन, रंग, आकार, और विषयवस्तु इन विनियमों में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये अनुसार होना चाहिये।

4. **लेबल संप्रदर्शित के लिये समय सीमा** – (1) विनियम 3 में विनिर्दिष्ट सभी विवरण के साथ लेबल प्रत्येक सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप पर, इन विनियमों के लागू होने के बाद, 6 महीने के भीतर लगा दिये जायेंगे।

(2) अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित संशोधित ऊर्जा उपभोग मानक लागू हो जाने पर, प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी या व्यापारी या विक्रेता-

(क) पहले के ऊर्जा खपत मानकों के साथ सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप नहीं विक्रय नहीं कर सकेगा;

(ख) संशोधित ऊर्जा उपभोग मानकों और सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप के विनिर्माण वर्ष के साथ संशोधित उपभोग मानकों के अनुरूप संशोधित स्टार लेवल और लेबल अवधि प्रदर्शित करेगा;

(ग) डीलरों, खुदरा विक्रेताओं की जागरुकता सहित उनकी जानकारी और उपभोक्ताओं की सजगता के लिये जरूरी प्रचार सहित सुनियोजित और आवश्यक अग्रिम उपाय करेगा।

5. **लेबल संप्रदर्शित करने की रीति–**

(1) प्रत्येक सेल्फ बालास्ट लाइट एमिटिंग डायोड लैंप पर त्वरित प्रतिक्रिया कोड के साथ लेबल होगा जिसे बिक्री स्थल पर प्रदर्शित किया जायेगा और ऐसा लेबल निम्नलिखित रीति से सेल्फ बालास्ट लाइट एमिटिंग डायोड लैंप पर चिपकाया जायेगाः-

(क) पैकेजिंग पर मुद्रित त्वरित प्रतिक्रिया कोड के साथ स्वयं चिपकने वाला लेबल;

(ख) सेल्फ बालास्ट लाइट एमिटिंग डायोड के कैप पर रेटिंग के अनुसार स्टार मार्किंग अंकित या छपी होगी; और

(ग) लाइट एमिटिंग डायोड लैंप पर स्टार मार्किंग के लिये स्टैंप का आकार ऊंचाई में 11.5 मि.मी. और चौड़ाई में 8.5 मि.मी. होना चाहिये और त्वरित प्रतिक्रिया 8.5 मि.मी.ऊंचा और 8.5 मि.मी. चौड़ा होना चाहिये।

6. **लेबल संप्रदर्शित करने के लिये अनुज्ञा – (1)** ब्यूरो की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी भी सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप पर स्टार लेबल नहीं लगाया जा सकता।

(2) कंपनी रजिस्ट्रीकरण – ब्यूरो की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये प्रत्येक ब्रांड को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यम से भुगतान योग्य एक लाख रुपए की लेबल सुरक्षा फीस के साथ प्ररूप I-(क) में यथाविनिर्दिष्ट अलग से रजिस्ट्रीकृत करना होगा, ।

परन्तु यह उपबंधित है कि लघु उद्योगों लिये लेबल सुरक्षा फीस केवल 25 हजार रुपए होगा।

(3) मॉडल रजिस्ट्रीकरण – उपविनियम 2 के अधीन अनुज्ञापत्रधारी के प्रत्येक आवेदन –

(क) इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यम से भुगतान योग्य, प्रति मॉडल दो हजार रुपए की आवेदन फीस और

(ख) प्ररूप I में विविनिर्दिष्ट दस्तावेज के साथ होना चाहिए।

7. अनुज्ञा प्रदान किया जाना – (1) विनियम 6 के अधीन आवेदन प्राप्त होने और सभी अपेक्षाओं के अनुपालन से संतुष्ट होने के बाद, ब्यूरो, मानक और लेबलिंग नियमावली में विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर, विनियम 8 में विनिर्दिष्ट नियम और शर्तों के अधीन –

(क) ब्रांड को प्ररूप II – (क) में, इलेक्ट्रॉनिक रूप से रजिस्टर कर लेता है; और

(ख) सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप पर लेबल लगाने की अनुज्ञा प्ररूप II में, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान कर देता है।

(2) ब्यूरो प्ररूप III में एक रजिस्टर का प्रबंध करेगा और उसमें अनुज्ञापत्रधारी का नाम अभिलिखित कर लेगा।

(3) उप विनियम (1) के अधीन इस प्रकार स्वीकृत मंजूरी उस अवधि तक विधिमान्य रहेगी जबतक केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 14 के खंड (क) के अधीन अधिसूचित ऊर्जा उपभोग मानक द्वारा विनिर्दिष्ट स्टार लेवल लागू रहेगा।

(4) स्टार रेटिंग योजना में संशोधन की स्थिति में, अनुज्ञापत्रधारी द्वारा नवीकरण की अनुज्ञा के लिये, स्टार रेटिंग की अवधि समाप्त होने के पहले एक महीने के अंदर आवेदन देना होगा और साथ में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नयी दिल्ली के पक्ष में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान योग्य एक हजार रुपए का फीस देना होगा।

परन्तु, यह विधिमान्यता स्टार रेटिंग योजना विस्तारित होने की स्थिति में एक हजार रुपए के नवीकरण फीस से छूट दी जायेगी।

(5) विधिमान्यता अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी आवेदन पर नवीकरण नहीं किया जायेगा और तब अनुज्ञापत्रधारी को नया आवेदन देना होगा।

(6) उपविनियम (4) के अधीन नवीकरण के लिये आवेदन प्राप्त होने पर और सभी अपेक्षाओं के अनुपालन के प्रति संतुष्ट होने पर, ब्यूरो आवेदन प्राप्त होने के एक महीने के अंदर ब्यूरो प्ररूप II में अनुज्ञा का नवीकरण कर सकता है।

(7) जो अनुज्ञापत्रधारी, संशोधित स्टार लेबल लागू हो जाने की तारीख के बाद से सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप के वर्तमान मॉडल पर लेबल लगाना जारी रखने की अनुमित चाहता है, उसे केवल प्ररूप IV में घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।

(8) यदि संशोधित स्टार लेबल की अनुरूपता में सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप का नया मॉडल शुरू किये जाने की योजना है तो अनुज्ञापत्रधारी को नया लेबल लगाने की अनुज्ञा लेनी होगी और इस अनुज्ञा के लिये आवेदन संशोधित स्टार लेवल के लागू होने के 6 महीने पहले करना होगा।

8. लेबल पर ब्योरा संप्रदर्शित किये जाने के निबंधन और शर्तें – प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, व्यापारी और विक्रेता को लेबल पर विवरण प्रस्तुत में निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों का अनुपालन करना होगा –

(क) प्रत्येक सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप के लेबल पर प्रदर्शित किया जाने वाला स्टार लेवल केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन सेल्फ बालास्ट लैंप के लिये अधिसूचित ऊर्जा उपभोग मानकों के अनुरूप होगा ;

(ख) सेल्फ बालास्ट लैंप के केवल उन मॉडल पर ही लेबल लगाया जा सकेगा जिनके लिये अनुज्ञा दी गयी है;

(ग) सेल्फ बालास्ट लैंप पर लेबल केवल अनुज्ञापत्रधारी के व्यय पर ही प्रिंट होगा और लगाया जायेगा

(घ) अनुज्ञापत्रधारी, व्यापारी और विक्रेता यह सुनिश्चित करेंगे कि सेल्फ बालास्ट लैंप के लेबल पर प्रदर्शित लेबल हर समय बना रहे;

(ङ) अनुज्ञापत्रधारी विनियम 9 में विनिर्दिष्ट लेबल फीस का भुगतान करेगा;

(च) अनुज्ञापत्रधारी ब्यूरो को एक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें लेबल युक्त उपस्कर के निर्माण तथा वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद वाले महीने में प्रत्येक तिमाही के लिये बकाया प्रोद्भूत लेबलिंग फीस का ब्योरा होगा ;

(छ) अनुज्ञापत्रधारी प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल तक अपने लेबलयुक्त उत्पादों की बिक्री के लिये नियुक्त किये अधिकृत वितरकों, डीलरों, खुदरा विक्रेताओं और विक्रेताओं का विवरण ब्यूरो को सौंपेगा;

(ज) अनुज्ञापत्रधारी, व्यापारी और विक्रेता ब्यूरो की नियमावली में मानक और लेबलिंग पर शामिल विनियमों सहित ऐसे अन्य नियम और शर्तों का भी अनुपालन करेंगे जिसे ब्यूरो विनिर्दिष्ट करेगा।

9. लेबल फीस – (1) प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी ब्यूरो को सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंपों पर लगने वाले प्रत्येक लेबल के लिये ब्यूरो को पांच पैसे प्रति लेबल की दर से लेबल फीस का भुगतान करेगा।

(2) उपविनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट लेबल फीस का भुगतान ब्यूरो को वार्षिक रूप से प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समापन तारीख से एक महीने के अंदर करना होगा।

परन्तु, इस प्रकार विविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लेबल फीस का भुगतान नहीं करने पर ब्यूरो बकाया रकम की वसूली दस प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ, विनियम 6 के उपविनियम (3) के अधीन जमा किये गये लेबल सुरक्षा फीस से करेगा, और यदि पूरा लेबलिंग फीस जमा किये जाने की तारीख के एक वर्ष के अंदर वसूल नहीं होता है तो ब्यूरो अनुज्ञापत्रधारी को स्वीकृत किये गये सभी लेबल रद्द कर सकता है और अनुज्ञापत्रधारी का नाम समाचार पत्रों में डिफॉल्टर के रूप में प्रकाशित कर सकता है।

10. लेबल सुरक्षा फीस की वापसी – विनियम 9 के उपविनियम (2) के उपबंधों के अधीन अनुज्ञापत्रधारी, सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप का विनिर्माण बंद कर देने पर, लेबल सुरक्षा फीस वापस ले सकेगा।

11. ब्यूरो द्वारा सत्यापन - (1) ब्यूरो और उसका अभिहित अभिकरण, या तो स्वतः संज्ञान से या कोई शिकायत मिलने पर, इस बात का सत्यापन करा सकती है कि सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप स्टार लेवल और इसके लेबल पर प्रदर्शित ब्योरे के अनुरूप हैं और ये अनुज्ञा के अन्य निबंधनों और शर्तों का अनुपालन करते हैं।

(2) पुष्टि के लिये ब्यूरो या उसका अभिहित अभिकरण विनिर्माण केंद्र, भंडार, खुदरा बिक्री केंद्र, जहां से भी वे उचित समझें, अचानक नमूने उठा सकती है।

(3) उपविनियम (1) के अधीन शिकायत प्राप्त होने पर ब्यूरो को सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप के परीक्षण की पुष्टि, परीक्षण और अंशापन प्रयोगशालाओं के लिये राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रत्यायित किसी स्वतंत्र प्रयोगशाला में करानी चाहिये। यह जांच कराये जाने के बारे में अनुज्ञापत्रधारी को प्ररूप V में नोटिस जारी किया जाना होगा और शिकायतकर्ता को नमूना लागत, परीक्षण, परिवहन और अन्य संभावित व्यय, ब्यूरो द्वारा निर्धारित समय पर जमा करने के लिये कहा जायेगा। परंतुक है कि यदि परीक्षण की चुनौती दिया गया सैंपल जांच में विफल रहता है तो अनुज्ञापत्रधारी परीक्षण में लगे सभी व्यय का भुगतान ब्यूरो को करेगा, और ब्यूरो इसे शिकायतकर्ता को वापस कर देगा। और यदि उपस्कर परीक्षण पर खरा उतरता है तो शिकायतकर्ता द्वारा परीक्षण के लिये जमा करायी गयी रकम ज़ब्त हो जायेगी।

(4) जहां स्वतःसंज्ञान परीक्षण या चुनौती परीक्षण के दौरान सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप के नमूने कसौटी पर खरे नही उतर पाते वहां अनुज्ञापत्रधारी को एक मौका और दिया जायेगा। ब्यूरो दूसरा परीक्षण, पहली बार से दुगुनी संख्या में सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप लेकर करेगा। इस बार यह जांच, परीक्षण और अंशापन प्रयोगशालाओं के लिये राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रत्यायित किसी अन्य स्वतंत्र प्रयोगशाला में, अनुज्ञापत्रधारी के व्यय पर करायी जायेगी। ब्यूरो अनुज्ञापत्रधारी को उपविनियम (3) और दूसरे परीक्षण के लिये उपविनियम (4) में संदर्भित यह चुनौती परीक्षण देखने और नमूनों के उपापन और परीक्षण में लगने वाले व्यय के लिये प्ररूप V में सूचित करेगा।

(5) यदि दूसरा परीक्षण भी विफल हो जाती है तो ब्यूरो –

(क) सभी राज्य प्राधिकृत एजेंसियों को सूचना के अधीन, प्ररूप VI में अनुज्ञापत्रधारी को सूचित करेगा कि वह दो महीने के अंदर –

(i) सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप पर दिया गया स्टार लेवल विवरण सही करा ले या परीक्षण के दौरान पायी गयी त्रुटियों और खामियो को दूर करे।

(ii) ब्यूरो के निर्देश का अनुपालन करते हुए बाजार से पूरा स्टॉक वापस ले ले, और

(iii) विज्ञापन में दिया गया विवरण बदल दे

(ख) उपभोक्ताओं के हित में दो महीने के अंदर संबंधित अनुज्ञापत्रधारी का नाम, ब्रांड का नाम, मॉडल का नाम या मॉडल संख्या, लोगो तथा अन्य विवरण किसी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में या किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में या किसी अन्य तरीके से, जैसा भी वह उचित समझता हो, प्रकाशित करेगा, और

(ग) संबंधित राज्य प्राधिकृत एजेंसी को अनुज्ञापत्रधारी और व्यापारी के खिलाफ अधिनियम की धारा 27 के अधीन न्यायिक कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए कहेगा।

(6) अनुज्ञापत्रधारी उपविनियम (5) में उल्लिखित दो महीने की अवधि पूरी होने के दस दिन के अंदर ---

(क) ब्यूरो को उसके निर्देशों के अनुपालन में की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट प्ररूप VII में भेजेगा, और

(ख) यदि खंड (क) में उल्लिखित अनुपालन रिपोर्ट विनिर्दिष्ट समयसीमा में प्राप्त नहीं होती है या बिना किसी निर्देश का अनुपालन किये प्राप्त होती है तो यह ब्यूरो द्वारा जारी निर्देशों और आदेशों का गैरअनुपालन माना जायेगा ।

(7) ब्यूरो उपविनियम 6 के खंड (क) में उल्लिखित अनुपालन रिपोर्ट और खंड (ख) पारित आदेशों की प्रति, आवश्यक दस्तावेजों के साथ सभी राज्य प्राधिकृत एजेंसियों को अधिनियम की धारा 17 के अधीन जरूरी कार्रवाई और उपर्युक्त उपविनियम के खंड (ख) के अधीन पारित आदेशों के प्रवर्तन के लिये भेजेगा।

(8) जहां अनुज्ञापत्रधारी ब्यूरो द्वारा उपविनियम (5) के अधीन जारी निर्देशों के अनुपालन में विफल रहता है, तो ब्यूरो सभी राज्य प्राधिकृत अभिकरणों को सूचित कर –

(क) अनुज्ञापत्रधारी को विनियम 7 के उपविनियम (1) अधीन स्वीकृत अनुज्ञा वापस ले लेगा।

(ख) अनुज्ञापत्रधारी द्वारा अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा उपभोग मानकों पर खरा उतरने में विफलता की पुष्टि करने वाली परीक्षण रिपोर्ट, अधिनियम की धारा 14 के खंड (ग) के अधीन विचार और कार्रवाई के लिये उपविनियम (6) के खंड (क) में उल्लिखित ब्यूरो के निर्देशों के साथ अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को भेजेगा ।

(ग) उपभोक्ताओं के हित में दो महीने के अंदर संबंधित अनुज्ञापत्रधारी का नाम, ब्रांड का नाम, मॉडल का नाम या मॉडल संख्या, लोगो तथा अन्य विवरण किसी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में या

किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में या किसी अन्य तरीके से, जैसा भी वह उचित समझता हो, प्रकाशित करेगा, और

(घ) संबंधित राज्य प्राधिकृत एजेंसी को अनुज्ञापत्रधारी और व्यापारी के खिलाफ अधिनियम की धारा 27 के अधीन न्यायिक कार्रवाई शुरू करने के लिये कहेगा।

12. अनुज्ञा रद्द किया जाना- ब्यूरो विनियम 7 के अधीन प्रदत्त अनुज्ञा रद्द कर सकता है.यदि अनुज्ञापत्रधारी --

(क) विनियम 8 में विनिर्दिष्ट किसी भी नियम और शर्त के अनुपालन में विफल रहता है,

(ख) विनियम 9 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि में लेबल फीस का भुगतान नहीं कर पाता,

(ग) विनियम 11 के अधीन जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं कर पाता,

(घ) परंतु कोई भी आवेदन अनुज्ञापत्रधारी को अनुज्ञा रद्द किये जाने के संदर्भ में उसका पक्ष सुने जाने का उचित अवसर दिये बिना रद्द नहीं किया जायेगा।

अभय बाकरे, महानिदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./220/2023-24]

प्ररूप I – (क)

(विनियम 6 (2) देखें)

(कंपनी के लेटरहेड में मुद्रण हेतु)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति) विनियम,2023 के अंतर्गत सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप के ब्रांड के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन

महानिदेशक

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो,

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार) चौथा तल, सेवा भवन,

सेक्टर-1, आर.के.पुरम, नयी दिल्ली- 110066,भारत

मैं/हम सेल्फ बालास्टेड एलईडी लैंप का/के विनिर्माता हूँ/हैं, हमारा व्यवसाय ....से (पूरा व्यावसायिक पता),.............के नाम (व्यक्ति या कंपनी का पूरा नाम) से संचालित होता है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप के लेबल पर संसंप्रदर्शन विवरण और ढंग) विनियम,2023 में ब्यूरो के विनिर्देश के अनुसार सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप पर लेबल लगाने की अनुज्ञा के लिये आवेदन करता/करते हूँ/हैं।

2.उपस्कर, कंपनी, विनिर्माण केंद्र और भुगतान से संबंधित जानकारी का विवरण उपाबंध में दिया गया है। कंपनी का नाम और इसके विनिर्माण परिसरों की पुष्टि में कंपनी रजिस्ट्रार या सोसायटी या निर्देशक, उद्योग (लघु उद्योग इकाइयों के संदर्भ में) द्वारा जारी निगमन प्रमाणपत्र की फोटो प्रति या अन्य समान दस्तावेज संलग्न हैं।

(क) आवेदक/अधिकृत व्यक्ति ....(नाम और पद) कंपनी/फर्म या अन्य प्राधिकरणों की ओर से आवेदन करने के लिये अधिकृत हैं और वे इस आवेदन के साथ दी जाने वाली जानकारी की प्रामाणिकता के लिये उत्तरदायी होंगे।

(ख) संपर्क व्यक्ति....................(नाम और पद) इस आवेदन और लेबल के उपयोग के संदर्भ में ब्यूरो के साथ समन्वय के लिये संपर्क व्यक्ति के रूप में अधिकृत हैं।

(ग) मैं/हम उपर्युक्त (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट अधिकृत व्यक्तियों में किसी परिवर्तन के बारे में ब्यूरो को सूचित करने का दायित्व लेता हूँ / लेते हैं।

3. उपरोक्त उपस्कर का उत्पादन और विक्रय आंकड़ा और मान मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और अनुमानों के अनुसार इस प्रकार हैः

वर्ष	उत्पादन	बिक्री	उपस्कर का अधिकतम खुदरा मान
पिछले वर्ष ....से ....तक वर्तमान वर्ष.........से ....(अनुमान)			

4. यथास्थिति,. लेबल सुरक्षा फीस के रूप में एक लाख रुपए या पच्चीस हजार रुपए का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर दिया गया है (लेबल सुरक्षा फीस जमा करते समय भरा जाना है)।

5. मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट लेबलिंग फीस के भुगतान के लिये सहमत हूँ/हैं।

6. मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी निबंधनों और शर्तो के अनुपालन के लिये सहमत हूँ/हैं और ब्यूरो को किसी भी जांच की स्थिति में आवश्यक सहायता/सहयोग उपलब्ध कराने को तैयार हैं।

7. मैं/हम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को पुष्टि और चुनौती परीक्षण के लिये नमूना लेने को अधिकृत करते हैं इस संदर्भ में ब्यूरो का निर्देश मानने के लिये तैयार हूँ/हैं।

8. मैं/हम दायित्व लेते हैं कि आवेदन में दी गयी सभी सूचना मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी में सही है और यदि कोई भी जानकारी गलत पायी जाती है तो आवेदन रद्द किया जा सकता है।

तारीख.....दिन......मास.......वर्ष

हस्ताक्षर..

नाम...

पद..

कृते एवम् उनकी ओर से........................

(फर्म का नाम)) / फर्म की मुहर…………

उपाबंध

(प्ररूप I (क) का पैरा 2 देखें)

1. **कंपनी का विवरण**

कंपनी का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नं.	
फैक्स नं.	
ई-मेल	
वेबसाईट	
रजिस्ट्रीकरण के समर्थन में संलग्नक (क)विनिर्माण या व्यवसाय परिसर का नाम और पता	**हाँ / नहीं**

प्रमाणन दस्तावेज (ख)ट्रेड मार्क प्रमाणपत्र (ग) एसएसआई प्रमाणपत्र, यदि व्यवहार्य हो (घ)गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणपत्र (ड.) अधिकृत हस्ताक्षरी पत्र (च)बीआईएस लाइसेंस, यदि व्यवहार्य हो (छ) डिमांड ड्राफ्ट(सुरक्षा जमा)/ऑनलाईन भुगतान की स्थिति में भुगतान रसीद	

2. **विनिर्माण परिसर का ब्योरा (एक से अधिक विनिर्माण सुविधा की स्थिति में पृथक सारणी दी जा सकती है)।**

विनिर्माण सुविधा का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य/देश	
फोन नं.	
फैक्स नं.	
ई मेल	
वेब साईट	
कोई अन्य विवरण (यदि हो तो)	

हस्ताक्षर...

नाम...

पद...

कृते एवम् उनकी ओर से.......................

(फर्म का नाम)

फर्म की मुहर

प्ररूप I

(विनियम 6 देखें)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सेल्फ बालास्ट लैंप के लेबल पर संसंप्रदर्शन का विवरण और ढंग) विनियम,2023 के अधीन सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप पर लेबल लगाने के लिये आवेदन

महानिदेशक

(विद्युत मंत्रालय,भारत सरकार

चौथा तल, सेवा भवन,

सेक्टर-1, आर.के.पुरम,

नयी दिल्ली- 110066,

भारत

1. मैं/हम सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप का/के विनिर्माता या आयातक हूँ/हैं, हमारा व्यवसाय ....से (पूरा व्यावसायिक पता),.............के नाम (व्यक्ति या कंपनी का पूरा नाम) से संचालित होता है, **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति) विनियम, 2023** में ब्यूरो के विनिर्देश के अनुसार सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप पर लेबल लगाने की अनुज्ञा के लिये आवेदन करता/करते हूँ/हैं।

2. विनिर्माण सुविधा : उपरोक्त उपस्कर ....(कंपनी का नाम) द्वारा विनिर्मित/आयात किया जाता है और इसका विनिर्माण................(कारखाने का नाम) में होता है।

3. सूचना विवरणः उपस्कर, कंपनी, विनिर्माण केंद्र, उत्पाद परीक्षण प्रमाणन, लेबल और भुगतान से संबंधित जानकारी का विवरण उपाबंध में दिया गया है। कंपनी का नाम और इसके विनिर्माण परिसरों की पुष्टि में कंपनी रजिस्ट्रार या सोसायटी या निर्देशक, उद्योग (लघु उद्योग इकाइयों के लिये) द्वारा जारी निगमन प्रमाणपत्र की फोटो प्रति या अन्य समान दस्तावेज संलग्न हैं।

(क) आवेदक/अधिकृत व्यक्ति ....(नाम और पद) कंपनी/फर्म इत्यादि की ओर से आवेदन करने के लिये अधिकृत हैं और वे इस आवेदन के साथ दी जाने वाली जानकारी की प्रामाणिकता के लिये उत्तरदायी होंगे।

(ख) संपर्क व्यक्ति...................(नाम और पद) इस आवेदन और लेबल के उपयोग के संदर्भ में ब्यूरो के साथ समन्वय के लिये संपर्क व्यक्ति के रूप में अधिकृत हैं।

(ग) मैं/हम उपर्युक्त (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट अधिकृत व्यक्तियों में किसी परिवर्तन के बारे में ब्यूरो को सूचित करने का दायित्व लेता हूँ/लेते हैं।

4. मानकों से अनुरूपताः मैं/हम आईएस/अन्य (मानक का नाम और संख्या)............... के अनुसार गुणवत्ता प्रणाली/ अन्य मानदंडो के संदर्भ में भारतीय मानक ब्यूरो/अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानक निकायों से समनुरूपता रखते हैं,जैसा कि ....(उपस्कर का नाम) के लिये ....(अधिसूचना का शीर्षक) में विनिर्दिष्ट किया गया है। उपरोक्त उपस्कर के संदर्भ में अनुज्ञप्ति/ प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न है।

हमने अपनी इन-हाउस प्रयोगशाला..................या स्वतंत्र प्रयोगशाला ....(प्रयोगशाला का नाम और पता),जो राष्ट्रीय परीक्षण और अंशापन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड- **एनएबीएल** या अंतरराष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग –**आईएलएसी** या एशिया प्रशांत प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग- **एपीएलएसी** या समतुल्य निकायों द्वारा मान्य है, में परीक्षण की व्यवस्था की है। इसका उद्देश्य उपस्करों की क्वालिटी निरंतरता बनाये रखने के साथ साथ संबंधित भारतीय मानक/अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन/अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो-टेक्निकल आयोग मानको की व्यापकता बनाये रखना है, जैसा कि एस.ओ,में विनिर्दिष्ट है......

क) परीक्षण मानदंड (जांच प्रक्रिया/नाम/संख्या)

ख) मान्यता स्थिति

ग) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो अनुमोदन

5. उक्त उपस्कर का निर्माण और विक्रय आंकड़ा तथा मान, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और अनुमानों के अनुसार इस प्रकार हैः

वर्ष	**उत्पादन**	**बिक्री**	**उपस्कर का एमआरपी(रुपए में)**
पिछले वर्ष ....से ....तक वर्तमान वर्ष..........से ......(अनुमान)			

6 (क) दो हजार रुपए के आवेदन फीस का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान किया गया।

(ख) एक लाख रुपए या 25 हजार रुपए................ का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर दिया गया है।

(ग) मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट लेबलिंग फीस के भुगतान के लिये सहमत हूँ/हैं।

7. मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी निबंधनों और शर्तों के अनुपालन के लिये सहमत हूँ/हैं और ब्यूरो को किसी भी जांच की स्थिति में आवश्यक सहायता/सहयोग उपलब्ध कराने को तैयार हैं।

8. मैं/हम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को पुष्टि और चुनौती परीक्षण के लिये नमूना लेने को अधिकृत करते हैं इस संदर्भ में ब्यूरो का निर्देश मानने के लिये सहमत हूँ/हैं।

9. मैं/हम दायित्व लेते हैं कि आवेदन में दी गयी सभी सूचना मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी में सही है और यदि कोई भी जानकारी गलत पायी जाती है तो आवेदन रद्द किया जा सकता है।

तारीख.....दिन......मास.......वर्ष

भवदीय,

हस्ताक्षर ....

नाम ....

पद ....

कृते एवम् ओर से ....

(फर्म का नाम)

फर्म की मुहर

उपाबंध

[प्ररूप 1 का पैरा 3 देखें]

सूचना का विवरण

1. उत्पाद/उपस्कर के ब्यौरे

1.1 सामान्य (प्रयोज्य विवरण प्रदान करें)

उपस्कर और प्रकार
ब्रांड नाम
माडल का नाम और संख्या
रेटेड वोल्टेज या वोल्टेज रेंज
रेटेड वोल्टेज (वॉट)
रेटेड लुमिनस फ्लक्स (लुमिन्स)
रेटेड लुमिनस प्रभावकारिता (लुमिन्स/वॉट)
स्टार रेटिंग

1.2 तकनीकी विवरण (प्रयोज्य विवरण प्रदान करें)

क) मूल्यांकित मान :

क्र सं	मापित मान		मूल्यांकित मान	
1.	**मापित मान (वोल्टेज)**		**मूल्यांकित वाटेज (वॉट)**	
2.	**मापित प्रदीप्त फ्लक्स (लुमिन्स)**		**मूल्यांकित प्रदीप्त फ्लक्स (लुमिन्स)**	
3.	**मापित प्रदीप्त दक्षता (लुमिन/वॉट)**		**मूल्यांकित प्रदीप्त दक्षता (लुमिन/वॉट)**	

2. परीक्षण प्रयोगशाला का विवरण

परीक्षण प्रयोगशाला का नाम	
प्रत्यायन की स्थिति (i) प्रयोगशाला के लिए (ii) सम्बद्ध मानक के लिए (प्रत्यायन प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)	हां/नहीं
प्रत्यायन की विधिमान्यता (अपेक्षित दस्तावेज संलग्न करें)	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नम्बर	
फैक्स नम्बर	
ईमेल	
वेबसाइट	

3. लेबल संबंधी सूचना

प्रारंभ होने की तारीख	
बीईई के लिए प्रयुक्त लेबलों की संख्या पहले वर्ष के लिए - दूसरे वर्ष के लिए - तीसरे वर्ष के लिए -	
उत्पाद क्रमांक	से ____________ तक ____________

4. मॉडल विवरण:

मॉडल	मॉडल का नाम/मॉडल नम्बर

5. सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप पर चिपकाए जाने वाले क्यूआर कोड के साथ लेबल का नमूना नीचे दिखाया गया है :

Bureau of Energy Efficiency
Ministry of Power, Government of India

तारीख

हस्ताक्षर ……..............……………

नाम……………………………….

पदनाम ………………...…………

कृते एवं उनकी ओर से …………………

(फर्म का नाम)

फर्म की मुहर

प्ररूप II – (क)

[विनियम 7 (1) (क) देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अधीन सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप के ब्रांड के रजिस्ट्रीकरण की अनुज्ञा (सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति) विनियम, 2023

नई दिल्ली,
तारीख ....

सेवा में,

....
....

1. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (विवरण और प्रपत्र 1क. क्या अंतर है? सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति) विनियम, 2023, के विनियम 7 के उपबंधों के अनुपालन में ब्यूरो एतद्वारा आपको इस पत्र के उपाबंध में दिए गए निर्धारित अनुमोदन के ब्यौरे के अनुसारअपना ब्रांड रजिस्ट्रीकरण करने की अनुज्ञा प्रदान करता है।

2. यह अनुज्ञा निम्नांकित के अधीन है—

(क) सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप के लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन अधिसूचित सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप के लिए ऊर्जा खपत मानकों और उपरोक्त विनियमों में प्रदान की गई शर्तों के अनुरूप होगा;

(ख) केवल सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप के ऐसे मॉडल पर लेबल की मोहर लगाना जिसके लिए अनुज्ञा दी गई है;

(ग) अनुज्ञापत्रधारक की लागत पर सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप पर लेबल की प्रिंटिंग और चिपकाना ;

(घ) अनुज्ञापत्रधारी सुनिश्चित करेगा कि सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप पर प्रदर्शित स्टार स्तर हर समय बनाए रखा जाएगा;

(ङ) अनुज्ञापत्रधारक, ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट लेबल फीस का भुगतान ;

(च) अनुज्ञापत्रधारक लेबल युक्त उपस्कर के उत्पादन के विवरण और वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के अगले महीने के भीतर देय प्रोद्भूत लेबल फीस का ब्यौरा ब्यूरो को प्रस्तुत करेगा। यही विवरण ब्यूरो को स्वचालित प्रणाली के माध्यम से भी प्रस्तुत किया जाएगा;

(छ) अनुज्ञापत्रधारक अनुज्ञा प्रदान किए गए सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप के बारे में ब्यूरो द्वारा मांगे जाने पर अन्य विवरण उपलब्ध कराएगा।

3. अनुज्ञापत्रधारक विधिमान्यता अवधि के दौरान ब्यूरो के पूर्व अनुमोदन के बिना रजिस्ट्रीकृत ब्रांड और सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप को बाजार से वापस नहीं लेगा।

4. ब्रांड के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट विशिष्ट लेबल सीरीज़ कोड .... है, जो अनुमोदित डिजाइन के अनुसार लेबल पर दिखाई देना चाहिए।

5. .... वर्ष के......... महीने की .... तारीख को मुहर सहित हस्ताक्षर।

भवदीय,

(सचिव)
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

उपाबंध

[प्ररूप II-(क) का पैरा 1 देखें]

अनुमोदनों का विवरण

1. कंपनी का ब्यौरा

कंपनी का नाम	
पता	

पिन कोड	
राज्य	
फोन नम्बर	
फैक्स नम्बर	
ईमेल	
वेबसाइट	

2. रजिस्ट्रीकृत ब्रांड का नाम:
3. विशिष्ट सीरीज कोड :
4. अन्य ब्यौरा यदि लागू हो:

तारीख

भवदीय,

(सचिव), ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

प्ररूप II

[उप-विनियम 7 (1) (ख)]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति) विनियम, 2023 के अधीन सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप पर लेबल लगाने की अनुज्ञा/नवीनीकरण

नई दिल्ली, तारीख ....

सेवा में,

....

1. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (विवरण और सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति) विनियम, 2023, के विनियम 7 के उपबंधों के अनुपालन में ब्यूरो इस पत्र के उपाबंध में दिए गए निर्धारित अनुमोदन के ब्यौरे के अनुसार लेबल लगाने की अनुज्ञा प्रदान करता है।
2. यह अनुज्ञा निम्नांकित के अधीन है—

   (क) सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप के लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन अधिसूचित सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप के लिए ऊर्जा खपत मानकों और उपरोक्त विनियमों में उपबंधित शर्तों के अनुरूप होगा;

   (ख) केवल सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप के ऐसे मॉडल पर लेबल लगाना, जिसके लिए अनुज्ञा दी गई है;

   (ग) अनुज्ञापत्रधारक की लागत पर सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप पर लेबल की प्रिंटिंग और चिपकाना ;

   (घ) अनुज्ञापत्रधारक सुनिश्चित करेगा कि सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप पर प्रदर्शित स्टार स्तर हर समय बनाए रखा जाएगा;

(ङ) अनुज्ञापत्रधारक, प्रति लेबल पांच पैसे की लेबल फीस का भुगतान करेगा;

(च) अनुज्ञापत्रधारक लेबल युक्त उपस्कर के उत्पादन के विवरण और वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के अगले महीने के भीतर देय प्रोद्भूत लेबल फीस का ब्यौरा ब्यूरो को प्रस्तुत करेगा। यही विवरण ब्यूरो को स्वचालित प्रणाली के माध्यम से भी प्रस्तुत किया जाएगा;

(छ) अनुज्ञापत्रधारक अनुज्ञा प्रदान किए गए सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप के बारे में ब्यूरो द्वारा मांगे जाने पर अन्य विवरण उपलब्ध कराएगा।

3. यह अनुज्ञा .... से .... तक के लिए मान्य होगी ....और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इसे नवीनीकृत किया जा सकेगा। अनुज्ञापत्रधारक की अनुज्ञा की विधिमान्यता अवधि के दौरान ब्यूरो की पूर्व स्वीकृति के बिना बाजार से सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप वापस नहीं लेगी।

4. उपस्कर के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट विशिष्ट लेबल श्रृंखला कोड .... है, जो अनुमोदित डिज़ाइन के अनुसार लेबल पर दिखाई देना चाहिए।

5. जहां केन्द्रीय सरकार द्वारा समीक्षा पर स्टार स्तर की योजनाओं को संशोधित किया जाता है, वहां सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप के स्टार स्तर को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा:-

(क) यदि नया मॉडल संशोधित स्टार स्तर के साथ सिंक्रनाइज़ करते हुए लॉन्च किया जाता है, तो इस तरह की अनुज्ञा के लिए एक आवेदन ब्यूरो को उस तारीख से छह महीने पहले किया जाएगा, जब से नया स्टार स्तर लागू होता है;

(ख) जहां मौजूदा मॉडल संशोधित स्टार स्तर को प्रभावी बनाना जारी रखता है, वहां केवल प्ररूप IV में एक घोषणा ब्यूरो को प्रस्तुत की जाएगी।

6. .... वर्ष के......... महीने की .... तारीख को मुहर सहित हस्ताक्षर।

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

उपाबंध

[प्ररूप II का पैरा 1 देखें]

अनुमोदनों के ब्यौरे

1. **उपस्कर के ब्यौरे**

(क) **ब्रांड :**

(ख) **मॉडल के ब्यौरे:**

मॉडल	**मॉडल नाम**	**मॉडल नम्बर**

(ग) **तकनीकी विनिर्देश:**

क्र सं	मापित मान		रेटेड वेल्यू	
	वाटेज (वाट)		वाटेज (वाट)	
	प्रदीप्त फ्लक्स (लुमिन्स)		**प्रदीप्त फ्लक्स (लुमिन्स)**	
	प्रदीप्त प्रभावकारिता (लुमिन/वॉट)		**प्रदीप्त प्रभावकारिता (लुमिन/वॉट)**	

2. **लेबल के ब्यौरे**

उपस्कर और उसका प्रकार	
उत्पादक/आयातक/ब्रांड का नाम	
मॉडल और विनिर्माण का वर्ष	
स्टार लेवल	
रेटेड वॉटेज (वॉट)	
रेटेड प्रदीप्त फ्लक्स (लुमिन्स)	
रेटेड ल्युमिनस प्रभावकारिता (लुमिन्स/वाट)	
लेबल अवधि	
विशिष्ट सीरीज़ कोड	

3. लेबल डिजाइन, आकार, रंग योजना, लेबल के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री और ब्यूरो के लोगो के लेबल और रंग योजना की सामग्री इस विनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट की जाएगी।

4. सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप पर चिपकाए जाने के लिए ब्यूरो द्वारा विधिवत अनुमोदित लेबल का नमूना नीचे दिखाया गया है (मॉडल के समूह के लिए अलग नमूना संलग्न है)।

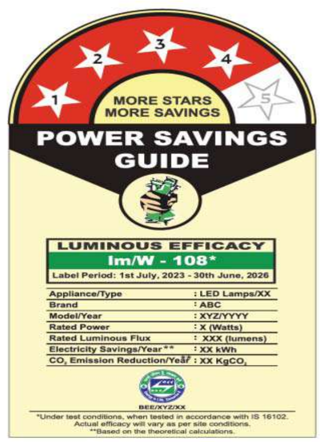

पत्र में दिए गए विशिष्ट लेबल के सीरीज कोड का उल्लेख सेल्फ-बालास्टेड एलईडी लैंप पर चिपकाए गए लेबल में किया जाएगा।

तारीख ....

भवदीय

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

प्ररूप III

[विनियम 7 का उपनियम (2) देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा परमिट धारकों का रजिस्टर रखा जाएगा (टेम्प्लेट)

क्र. सं	आवेदन संख्या और अनुज्ञा की तारीख	अनुज्ञापत्रधारक का नाम और ब्यौरा (संपर्क व्यक्ति, पता, पिन कोड, राज्य, फोन नम्बर, फैक्स नम्बर, ईमेल, वेबसाइट)	उपस्कर का ब्यौरा जिसके लिए अनुज्ञा दी गई है	स्टार लेवल या घोषित प्रभावकारिता का स्तर	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा ली गई अनुज्ञा संख्या और विशिष्ट लेबल सीरीज	अवधि, जिसके लिए अनुज्ञा दी गई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

लेबल सुरक्षा फीस की रकम	आज तारीख तक प्राप्त लेबल सुरक्षा फीस (इलेक्ट्रानिक लेनदेन का ब्यौरा): तारीख :	आवेदन फीस के रूप में प्राप्त रकम	प्राप्त आवेदन फीस का ब्यौरा (इलेक्ट्रानिक लेनदेन का ब्यौरा): तारीख :
(8)	(9)	(10)	(11)

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान चिपकाए गए लेबलों की कुल संख्या	प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को देय फीस की रकम	प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्त की गई लेबलिंग फीस रकम (इलेक्ट्रानिक लेनदेन का ब्यौरा): तारीख :	टिप्पणियां
(12)	(13)	(14)	(15)

प्ररूप IV

[विनियम 7 **का उपविनियम** 7 **देखें]**

मौजूदा मॉडल पर लेबल लगाने की अनुज्ञा जारी रखने की मांग करने वाले अनुज्ञापत्रधारक द्वारा घोषणा

(प्रत्येक अलग मॉडल के लिए, संबंधित उपाबंध के साथ एक अलग पत्र प्रस्तुत किया जाएगा)

(कॉर्पोरेट निकाय/अनुज्ञापत्रधारक के लेटर हेड पर)

तारीख:

सेवा में

महानिदेशक

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)

चौथा तल, सेवा भवन,

सेक्टर 1, आर के पुरम,

नई दिल्ली – 110066

भारत

विषय: तारीख .... से प्रभावी स्टार स्तर के पुनरीक्षण के पश्चात् ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति) विनियम, 2017 के अधीन लेबल लगाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन

1. मैं/हम [व्यक्ति या फर्म का पूरा नाम] सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप का/के निर्माता/आयातक हूं/हैं, और जो ब्रांड [कंपनी का नाम पूरे पते के साथ] के साथ कारोबार करते हैं, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप के लेबल पर संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2017 में विनिर्दिष्ट अनुसार सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंपों पर लेबल लगाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन करते हैं, जो तारीख .... से स्टार लेवल में परिवर्तित होंगे।

2. उपरोक्त उपस्कर [व्यक्ति या फर्म का पूरा नाम] द्वारा विनिर्मित या आयात किया जाता है और (कारखाने का नाम और पता) में निर्मित या (आयातक का नाम और पता) से आयात किया जाता है;

3. नए स्टार स्तर के अनुरूप: मैं/हम सारणी .... के अनुसार सारणी परिवर्तन के अनुरूप हैं, जैसा कि सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप के लिए एस.ओ. नंबर ....तारीख .... में विनिर्दिष्ट है। उपरोक्त उपस्कर (जो पहले अनुमोदित किया गया था) के संबंध में ब्यूरो के अनुमोदन की एक प्रति संलग्न है।

4. सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप के संबंध में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के लेबल (स्टार लेवल चेंज के पुनरीक्षण के अनुसार) की एक प्रति संलग्न है।

5. स्टार लेवल चेंज के संशोधन के अनुसार उपस्कर/मॉडल का ब्यौरा

मॉडल का नाम - ______________________________

विशिष्टियां	**घोषित वेल्यू**	
वाटेज (वाट)	--	
प्रदीप्त फ्लक्स (लुमिन्स)	--	
प्रदीप्त प्रभावकारिता (लुमिन्स/वाट)	--	
स्टार रेटिंग	(मौजूदा स्टार लेवल के अनुसार)	(संशोधित स्टार लेवल के अनुसार)

6. मैं/हम मैन्युअल एप्लिकेशन के साथ-साथ ऑनलाइन वेब पोर्टल में स्टार स्तर को [मौजूदा स्टार लेबल स्तर] से [संशोधित स्टार लेबल स्तर] में बदलने के लिए सहमत हूं/हैं।

7. मैंने उक्त सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप मॉडल के लिए आज तक का अपना त्रैमासिक उत्पादन डेटा और लेबलिंग फीस जमा कर दिया है।

8. मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी निबंधनों और शर्तों का पालन करने और ब्यूरो द्वारा की जाने वाली किसी भी जांच के मामले में आवश्यक सहायता/सहयोग देने के लिए सहमत हैं।

9. मैं/हम सत्यापन और चुनौती परीक्षण के लिए नमूने के चयन के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को अधिकृत करते हैं और इस संबंध में ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए सहमत हैं।

10. मैं/हम वचन देते हैं कि इस आवेदन में प्रदान की गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है, और यदि आपूर्ति की गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है, तो आवेदन को तत्काल अस्वीकार कर दिया जा सकता है।

तारीख:

दिन ……………….. (वर्ष)

हस्ताक्षर ……………………………

नाम ………………………………..

पदनाम ……..………………………..

कृते और उनकी ओर से …………………

………………………………………..

(फर्म का नाम)

फर्म की मुहर

प्ररूप V

[विनियम 11 (3) देखें]

अनुज्ञापत्रधारक को चुनौती परीक्षण/द्वितीय परीक्षण की सूचना

सेवा में, नई दिल्ली, तारीख …..

…………………..

…………………..

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो **(सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति)** विनियम, 2023 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसार, आपको पत्र संख्या……….तारीख ……. उसमें विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अनुपालन के अधीन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के माध्यम से सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप पर लेबल लगाने की अनुज्ञा दी गई थी।

2. ब्यूरो ने, आपके अधिकृत वितरक/डीलर/खुदरा विक्रेता से चालान संख्या ……. तारीख ……. रुपए मान पर ……. और नमूना तारीख …….. को स्वत: परीक्षण या चुनौती परीक्षण के प्रयोजन के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो **(सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति)** विनियम, 2023 के विनियम 11 के अधीन, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो स्टार लेबल वाले सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप खरीदे थे। उपरोक्त विनियमों के विनियम 3 के अधीन लेबल पर प्रदर्शित विवरणों के सत्यापन के लिए ब्यूरो द्वारा नियुक्त एक एजेंसी मैसर्स द्वारा नमूने खरीदे गए थे, जो आपके द्वारा पूर्वोक्त खरीदे गए सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंपों पर चिपकाए गए थे। मैसर्स ……………………. द्वारा क्रम संख्या -------- द्वारा विधिवत सील किया गया नमूना मैसर्स ……… से

प्राप्त किया गया था। (वितरक, डीलर, खुदरा विक्रेता का नाम) सत्यापन एजेंसी के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर के अधीन।

3. ब्यूरो ने अधिसूचना संख्या एसओ.........तारीख...... के पैरा 3, 4 एवं 5 में इंगित परीक्षण प्रक्रिया अधिसूचना संख्या एसओ. .... के अधीन अपनी पूर्वोक्त सत्यापन एजेंसी के माध्यम से पैरा 2 में संदर्भित नमूने को मैसर्स---------, परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए एक राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के अनुसार परीक्षण करने के लिए मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में पहुँचाया था।

4. उत्पाद का विवरण और स्वत: परीक्षण के परिणाम (यदि लागू हो) इस पत्र के साथ संलग्न है। इसलिए, अब ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के विनियम 11 के उप-विनियम (1) के उपबंधों के अनुसरण में (सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति)विनियम, 2023, ब्यूरो स्वप्रेरणा से ....(तारीख) को...........(प्रयोगशाला का नाम), परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षण/चुनौती परीक्षण (यथा लागू) का संचालन कर रहा है।

5. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के विनियम 11 के उप-विनियम (4) के उपबंधों के अनुसार (सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति) विनियम, 2023, ब्यूरो इसके द्वारा सूचित करता है -

(i) उपरोक्त विनिर्दिष्ट तारीख पर चुनौती परीक्षण/द्वितीय परीक्षण देखने के लिए किसी अधिकारी को नामांकित अधिकारी के रूप में, नाम, पदनाम और हस्ताक्षर (मूल रूप में) दर्शाते हुए प्राधिकरण पत्र के साथ नामित करें (पत्र कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर सहित होना चाहिए)।

(ii) इस पत्र के जारी होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर खरीद, परिवहन, परीक्षण और अन्य आकस्मिक खर्चों की लागत जमा करें जैसा कि उपाबंध में उल्लेख किया गया है (खर्च इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से जमा किया जाएगा)।

6, कृपया नोट करें कि ब्यूरो चुनौती परीक्षण या द्वितीय परीक्षण द्वारा सत्यापन जारी रखेगा, भले ही उपरोक्त खर्च समय पर नहीं किए गए हों या अधिकारियों को विनिर्दिष्ट अनुसार नामित नहीं किया गया हो और इस मामले में ब्यूरो, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति) विनियम, 2023 के नियम 11 के उप-नियम (5) के अंतर्गत अनुवर्ती कार्रवाई करेगा।

7. .... वर्ष के मास......... की तारीख....... को मुहर सहित हस्ताक्षर।.

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

उपाबंध:

1. उत्पाद/स्वतः प्रेरित परीक्षण परिणाम के ब्यौरे
2. उपाबंध V(क)
3. व्यय से संबंधित बीजक

उपाबंध

[प्ररूप V का पैरा 5 देखें]

उत्पाद की जानकारी

1. चैलेंज टेस्ट/द्वितीय टेस्ट के लिए चुने गए उत्पाद या उपस्कर का ब्यौरा

ब्रांड नाम:
विशिष्ट लेबल सीरीज कोड :
मॉडल नाम/मॉडल संख्या :
रेटेड वोल्टेज या वोल्टेज रेंज
रेटेड वॉटेज (वॉट)
रेटेड ल्युमिन्स फ्लक्स (लुमिन्स)
रेटेड ल्युमिन्स प्रभावकारिता (लुमिन्स/वॉट)
स्टार रेटिंग

1. ब्यूरो के पास जमा कराई गई रकम:

विवरण	संख्या/व्यय (भारतीय रुपए में)
नमूनों की संख्या	
लागत प्रति नमूना	
कुल क्रय लागत	
कुल परीक्षण प्रभार	
परिवहन फीस, (यदि लागू हो)	
अन्य (यदि लागू हो)	
अनुज्ञापत्रधारक द्वारा अदा की जाने वाली कुल रकम	

2. स्वतः प्रेरित परीक्षण का परिणाम (यदि लागू हो):

क्र सं	**ब्रांड**	**मॉडल नाम/संख्या**	**मापित मान**		**घोषित मान**		**टिपपणियां**
			मापित वाटेज (वॉट)		**रेटेड वाटेड (वॉट)**		
			मापित ल्युमिन्स फ्लक्स (लुमिन्स)		**रेटेड ल्युमिन्स फ्लक्स (लुमिन्स)**		
			मापित ल्युमिन्स प्रभावकारिता (लुमिन/वॉट)		**रेटेड ल्युमिन्स प्रभावकारिता (लुमिन/वॉट)**		

तारीख:....

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

प्ररूप VI

[विनियम 11 का उपनियम 5 देखें]

द्वितीय जांच परीक्षण विफल होने पर अनुज्ञापत्रधारक को निदेश

नई दिल्ली, तारीख .....

सेवा में

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति) विनियम, 2023 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसार, आपको ऊर्जा ब्यूरो के पत्र संख्या .... तारीख .... के माध्यम से उसमें विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अनुपालन के अधीन सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप पर लेबल लगाने की अनुज्ञा दी गई थी।

ब्यूरो ने, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति) विनियम, 2023 के विनियमन के अधीन, आपके अधिकृत वितरक, डीलर, खुदरा विक्रेता से चालान संख्या .... रुपए की कीमत पर तारीख .... को मैसर्स ...... से स्टार लेबल वाले सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप खरीदे थे और पूर्वोक्त विनियमों के विनियम 3 के अधीन लेबल पर प्रदर्शित विवरणों के सत्यापन के लिए ब्यूरो द्वारा नियुक्त एक एजेंसी मैसर्स .... (एजेंसी का नाम) द्वारा .... नमूने के रूप में आपके द्वारा पूर्वोक्त खरीदे गए सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप चिपकाए गए थे। मैसर्स .... (वितरक, डीलर, खुदरा विक्रेता) क्रमांक .... से सत्यापन एजेंसी के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर के अधीन प्राप्त किया नमूना विधिवत रूप से सील किया गया।

3. ब्यूरो ने अपनी उक्त पुष्टि एजेंसी के माध्यम से पैरा 2 में उल्लिखित सैंपल को मेसर्स........................., **राष्ट्रीय परीक्षण और अंशापन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड** से मान्य प्रयोगशाला के पास, तारीख ......के एस.ओ. संख्या.......के पैरा 4 और 5 इंगित जांच प्रक्रिया के अनुसार परीक्षण और तारीख ....की एसओ संख्या.........के उपाबंध में दिये गये प्ररूप........के अनुसार परीक्षण रिपोर्ट देने के लिये के लिये भेजा था।

4. विशिष्ट पहचान क्रम संख्या वाले सैंपल की परीक्षण रिपोर्ट के परिणाम संलग्न हैं। परीक्षण परिणान से स्पष्ट हुआ कि सैंपल के तौर पर भेजे गये सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप 50 प्रतिशत लोडिंग हानि और 100 प्रतिशत इत्यादि कुल हानि की जांच मे खरे नहीं उतरे और आपके द्वारा विनिर्मित / आयातित सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप पर लेबल लगाने की अनुज्ञा मांगने के आवेदन के साथ संलग्न प्ररूप I में आपके द्वारा दिये गये परीक्षण ब्योरे के अनुरूप नहीं रहे। परीक्षण परिणाम आपके अधिकृत संपर्क व्यक्ति के नाम,ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के तारीख .... की पत्र संख्या.......... द्वारा आपको भेज दिया गया है। आपसे **राष्ट्रीय परीक्षण और अंशापन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड** द्वारा मान्य प्रयोगशाला मेसर्स .... में नमूनों के दूसरे पुष्टि परीक्षण के दौरान उपस्थित रहने का भी अनुरोध किया गया था।

5. दूसरे पुष्टि परीक्षण के लिये सैंपल तारीख.......... हमारी अधिकृत एजेंसी मेसर्स....................के द्वारा लिया गया था और इसे हमारी अधिकृत एजेंसी.................. द्वारा विधिवत सीलबंद कर राष्ट्रीय परीक्षण और अंशापन प्रयोगशाला बोर्ड से मान्य प्रयोगशाला को भेज दिया गया था और पुष्टि एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि और आपके प्रतिनिधियों के हस्ताक्षरों से प्राप्त इस सैंपल पर विशिष्ट पहचान क्रम संख्या दी गयी थी।

6. **राष्ट्रीय परीक्षण और अंशापन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड** द्वारा मान्य प्रयोगशाला के सक्षम प्राधिकारी द्वारा परीक्षित और हस्ताक्षरित, दूसरे परीक्षण के जांच परिणाम संलग्न हैं। जांच रिपोर्ट पर दूसरे परीक्षण के साक्षी के रूप में आपके अधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर भी हैं। जांच परिणाम इस बात की पुष्टि करते हैं कि परीक्षण तारीख.......की एसओ संख्या..........में दिये गये अपेक्षित मानदंड और मानक तथा विनिर्मित/ आयातित और बाजार मे बेचे गये सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंपों पर लगे लेबल पर ब्योरा प्रदर्शित करने के लिये आपको दी गयी अनुज्ञा से संबंधित नियम और शर्तों को पूरा करने में विफल रहे।

7. इसलिये ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति) (सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति) विनियम, 2023 के विनियम 11 के उपविनियम 5 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ब्यूरो निदेश देता है-

(i) सेल्फ बालास्ट लैंप के लेबल पर उनके संप्रदर्शन स्टार लेवल सही करें या परीक्षण में पायी गयी त्रुटियों और कमियों को दूर करें ;

(ii) ब्यूरो के निदेशों के अनुपालन में बाजार से सभी स्टॉक वापस लें;

(iii) विज्ञापन सामग्री में दिया गया विवरण बदलें।

8. आपको यह पत्र जारी होने की तारीख से दो महीने के अंदर उपर्युक्त संशोधनात्मक कार्रवाई पूरी करने और दो महीने पूरे होने पर 10 दिन के अंदर यानी............तक प्ररूप VI में अनुपालन रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया जाता है। यदि इस तारीख तक अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो ब्यूरो **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति) विनियम, 2023** के विनियम 11 के उपविनियम (6) के खंड (ख) के अधीन कार्रवाई शुरू करेगा।

9. ब्यूरो इस मामले में **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति) विनियम, 2023** के विनियम 11 के उपविनियम (5), (6), (7) और (8) के अनुसार आगे की कार्रवाई करेगा।

सचिव

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

संलग्न

1. विफल मॉडल का परीक्षण रिपोर्ट
2. विनिर्माता के साथ पत्राचार

प्ररूप VII

(विनियम 11 का उपनियम (6) देखें)

कार्रवाई रिपोर्ट

(संगठन के लेटर हेड पर दिया जाय)

सेवा में तारीख

सचिव,

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)

चौथा तल, सेवा भवन,

सेक्टर 1, आर.के.पुरम,

नयी दिल्ली- 110066 भारत

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति) विनियम, 2023 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसार हम मेसर्स .... सेल्फ बालास्ट लैंप के विनिर्माताओं को ऊर्जा दक्षता

ब्यूरो के तारीख..........की पत्र- संख्या .... द्वारा मॉडल संख्या ....के लिये स्टार लेवल ....ऊर्जा खपत मानक के अनुरूप, सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप पर लेबल लगाने की अनुज्ञा दी गयी थी।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति) विनियम, 2023 के विनियम 11 के उपविनियम (5) के उपबंधों के अनुसार हमें ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के तारीख...........की पत्र-संख्या...........द्वारा आवश्यक सुधार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। हम घोषित करते हैं कि ब्यूरो के निदेशानुसार हमारी तरफ से निम्नलिखित कार्रवाई की गयी है।

	निदेशित कार्रवाई	स्थिति	की गयी कार्रवाई
(i)	ब्यूरो के निर्देशों के अनुपालन में सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंपो के लेबल पर प्रदर्शित स्टार लेवल सही करें	हां/नहीं/लागू नहीं होता।	स्टार लेवल बदलकर ....स्टार से......स्टार....... तारीख से कर दिया गया है।
(ii)	ब्यूरो के निर्देशों के अनुपालन में बाजार से सभी स्टॉक हटा लें, और	हां/नहीं/लागू नहीं होता।	ब्यूरो के निर्देशों के अनुपालन में बाजार से सभी स्टॉक हटा लिये गये हैं
(iii)	विज्ञापन सामग्री पर प्रदर्शित विवरण बदलें	हां/नहीं/लागू नहीं होता।	हां/नहीं/लागू नहीं

उपर्युक्त घोषणा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है

हस्ताक्षर…………………..

नाम………………………

पद

………………..

कृते एवं ओर से............

कंपनी / फर्म का नाम

कंपनी / फर्म की मुहर

अनुसूची

(विनियम 3 का उपविनियम (2) देखें)

सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप के लेबल पर प्रदर्शित किया जाने वाला विवरण

(क) लेबल डिजाइन,आकार,रंग योजना और लेबल की विषय वस्तु में शामिल होना चाहियेः

(i) लेबल का निम्नानुसार विमितीय डिजाइन

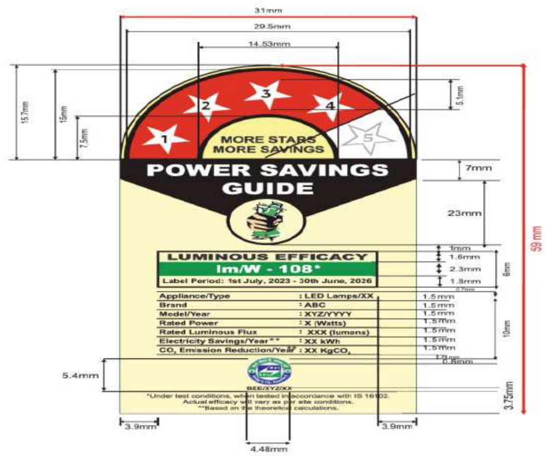

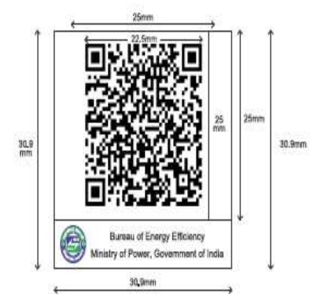

लैंप पर अंकित किये जाने के लिये लेबल का आकार और क्यूआर कोड

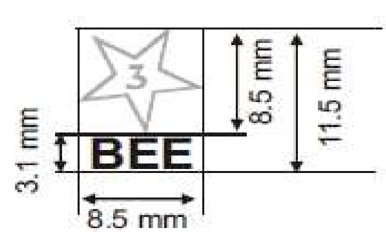

(ii) लेबल के लिये निम्नानुसार रंग योजना, इस प्रकार

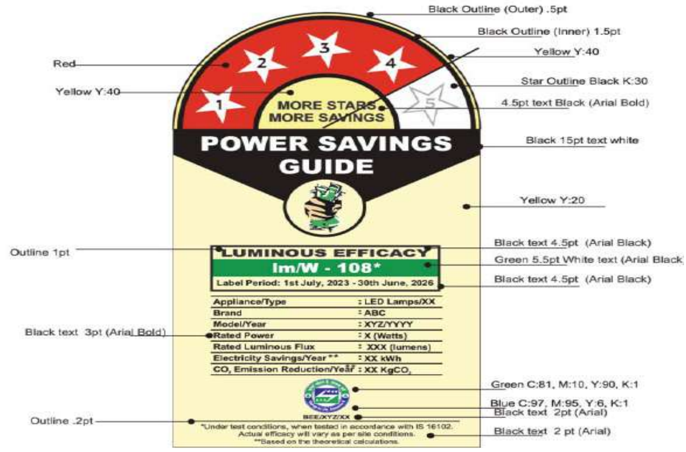

नीला -

रंगत (एच) -239^0 संतृप्ति (एस): 64% चमकीलापन (बी): 59%

ज्योतिर्मयता या हल्कापन (एल): 28, रंग संबधी घटक - ए:24 बी:54

लाल (आर): 54 हरा (जी): 55 नीला (बी): 151

सियान (सी): 97% मैजेंटा (एम): 95% पीला (वाई): 6% काला (के): 1%

वेब रंग कोड - # 363797;

हरा-

रंगत (एच) -150^0 संतृप्ति (एस): 10% चमकीलापन (बी): 67%,

ज्योतिर्मयता या हल्कापन (एल): 61, रंग संबंधी घटक- ए:53 बी:32

लाल (आर): 0 हरा (जी): 170 नीला (बी): 87

सियान (सी): 81% मैजेंटा (एम): 10% पीला (वाई): 90% काला (के): 1%

वेब रंग कोड - # 00एए56;

(iii) निम्नांकित लेबल सेल्फ–बालास्ट एलईडी लैंप पर चिपकाया जाएगा:-

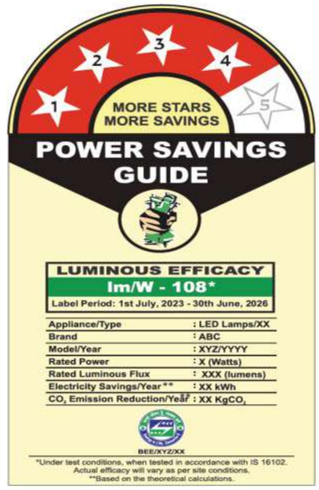

Bureau of Energy Efficiency
Ministry of Power, Government of India

(2) लेबल सामग्री

लेबल टिकाऊ कार्डबोर्ड का बना होना चाहिये, इसे एक स्विंग टैग के रूप में लगाया जाना चाहिये, या अपने आप चिपकने वाला होना चाहिये। इसे लेबल के लिये दर्शाये गये विमितीय डिजाइन की रूप रेखा में से किसी एक के अनुसार काटा जाना चाहिये।

THE BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2023

No. BEE/S&L/LED/52/2023.—Whereas, the draft regulations namely, the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Self-ballasted LED lamps), Regulations 2023, were published *vide* notification number BEE/S&L/LED/52/2023 as required under sub-section (1) of section 58 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), inviting objections or suggestions from persons likely to be affected thereby within the specified period of thirty days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas copies of the said draft regulation were made available to the public on 31st March, 2023;

And whereas no suggestions or comments have been received with respect to the said draft regulations within the period aforesaid;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (2) of section 58 read with clause (n) of sub-section (2) of section 13 and clause (d) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), and in supersession of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display. Labels of Self-ballasted LED lamps) Regulations, 2017, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Bureau, with the previous approval of the Central Government, hereby amends the following regulations, namely:-

1. **Short title and commencement. -** (1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Self-ballasted LED lamps), Regulations, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definition: -** (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, —

(a) "Act" means the Energy Conservation Act, 2001(52 of 2001);

(b) "Family of models" means group of models for which all the performance parameters are same;

(c) "Form" means a form appended to these regulations;

(d) "label" means any written, printed, marked, stamped or graphic matter affixed to, or appearing upon the self-ballasted LED lamp;

(e) "label period" means the validity period of the luminous efficacy under energy consumption standard notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act:

Provided that if, the end period of the validity period of the luminous efficacy is not notified, it shall be deemed to be valid until new values for the same are notified by the Central Government;

(f) "permittee" means a person or agency to whom permission has been granted to affix label under regulation 7;

(g) "Schedule" means the schedule annexed to these regulations;

(h) "self-ballasted LED lamp" means an appliance as specified in the notification under clause (b) of section 14 of the Act;

(i) "star rating or star level" means the grade of energy efficiency displayed on the label of the self-ballasted LED lamp based on luminous efficacy standard notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act;

(j) "trader or seller" in relation to any labelled self-ballasted LED lamp means a person who sells or distributes such self-ballasted LED lamp and includes shopkeeper, trader, manufacturer and permittee who has been given permission to affix label on such self-ballasted LED lamp.

(2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Particulars to be displayed on label. - (1) On every self-ballasted LED lamp, the following particulars shall be displayed on its label, namely: —

(a) the logo of the Bureau of Energy Efficiency;

(b) name of manufacturer or importer and brand;

(c) trade name and number;

(d) model and year of manufacturing or import;

(e) unique series code;

(f) power consumption in watts ;

(g) luminous flux in lumens;

(h) luminous efficacy in lm/W;

(i) star level of self-ballasted LED lamp;

(j) label period;

(k) electricity savings in kWh; and

(l) CO_2 emission reduction in $KgCO_2$

(2) The design, colour, size and content of label shall be as specified in the Schedule annexed to these regulations.

4. Time limit for display of labels.— (1) A label containing all the particulars specified in regulation 3 shall be displayed on every self-ballasted LED lamp within a period of six months from the date of coming into force of these regulations.

(2) On and from commencement of revised energy consumption standards notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act, every permittee or trader or seller -

(a) shall not produce the self-ballasted LED lamp with the previous energy consumption standards;

(b) shall display revised star level and label period with the revised energy consumption standard and the manufacturing year of the self-ballasted LED lamp in synchronisation with revised energy consumption standards;

(c) shall take necessary preparatory steps including awareness of the dealers, retailers, requisite publicity for their education as well as for the education of the consumers are well planned and action taken in advance.

5. Manner of display of label. —

(1) There shall be a label on every self-ballasted light emitting diode lamp along with Quick Response code which shall be displayed at the point of sale and such label shall be affixed on the self-ballasted light emitting diode lamp in the following manner, namely:-

(a) self-adhesive label along with Quick Response code printed on packaging;

(b) the star marking as per the rating shall be stamped or printed on the lamp cap of self-ballasted light emitting diode lamp; and

(c) the size of the stamp for star marking shall be 11.5 millimetre height x 8.5 millimetre width and for Quick Response code it shall be 8.5 millimetre height x 8.5 millimetre width on the light emitting diode lamps.

6. Permission for display of label. — (1) No star label shall be affixed on a self-ballasted light emitting diode lamp without obtaining the prior permission of the Bureau.

(2) Company registration. — For the purposes of obtaining permission of the Bureau, every brand shall be registered separately as specified in Form I – (A), accompanied by a label security fee of one lakh rupees, payable by electronic mode of payment:

Provided that in case of small scale industry, the label security fee shall be twenty five thousand rupees only.

(3) Model registration. — Every application of the permittee under sub-regulation (2) shall be accompanied by—

(a) an application fee of two thousand rupees per model, payable by electronic mode of payment; and

(b) documents specified in Form I.

7. Grant of permission.-(1) On receipt of an application under regulation 6 and after being satisfied that all requirements therein are complied with, the Bureau may, within a period as specified in its Manual on standards and labelling, subject to such terms and conditions as specified in regulation 8, —

(a) register the brand in Form II-(A) in electronic form; and

(b) grant permission for affixing label on self-ballasted LED lamp in Form II in electronic form.

(2) The Bureau shall maintain a register in Form III and enter the name of the permittee therein.

(3) The permission so granted under sub-regulation (1) shall be valid for such period till which the star level specified by the energy consumption standard as notified by the Central Government under clause (a) of section 14 is in force.

(4) In case of revision of star rating plan, an application for renewal of permission shall be made by the permittee not later than one month before its expiry and shall be accompanied by a fee of rupees one thousand payable in electronic mode in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi.

Provided that in case of extension of star rating plan, the said renewal fee of rupees one thousand shall be exempted.

(5) No application shall be renewed after expiry of validity period, in which case the permittee shall make a fresh application.

(6) On receipt of application for renewal under sub-regulation (4) and after being satisfied that all requirements are complied with, the Bureau may, within a period of one month from the date of such receipt, renew permission in Form II.

(7) The permittee who seeks permission for continuance to affix label on the existing model of the self-ballasted LED lamp from the date from which the revised star level comes into force shall submit only a declaration in Form IV.

(8) The permittee shall seek permission to affix label afresh, if new model of the self-ballasted LED lamp is planned to be launched to synchronise with the revised star level and application for such permission shall be made six months in advance of coming into force of the revised star level.

8. Terms and conditions for display of particulars on label.- Every permittee, trader and seller shall comply with the following terms and conditions in displaying the particulars on label, namely: —

(a) the star level displayed on the label of self-ballasted LED lamp shall conform to energy consumption standards for self-ballasted LED lamp notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act;

(b) the label shall be affixed only on such model of self-ballasted LED lamp for which permission has been granted;

(c) the label shall be printed and affixed on the self-ballasted LED lamp at the cost of permittee;

(d) the permittee, trader and seller shall ensure that the star level displayed on the label of self-ballasted LED lamp shall be maintained at all time;

(e) the permittee shall pay the label fee as specified in regulation 9;

(f) the permittee shall furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labeling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year;

(g) the permittee shall furnish to the Bureau an updated list of authorised distributors, dealers, retailers, sellers appointed to sell their labelled products by 30th day of April of each year; and

(h) the permittee, trader and seller shall comply with such other terms and conditions which the Bureau shall specify including those contained in the Bureau's Manual on Standard and Labelling.

9. Label fee. — (1) Every permittee shall pay to the Bureau a label fee of five paisa for each label affixed on the Self-ballasted LED lamps.

(2) The label fee specified under sub-regulation (1) shall be paid annually within one month from the date of closure of each financial year:

Provided that on failure to pay the label fee within the period so specified, the Bureau may recover the amount due with interest thereon at ten percent per annum from the label security fee made under clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 6, and if complete labeling fees are not recovered within one year of the last date of submission, the Bureau may cancel all labels granted to the permittee and publish the name of the permittee in the newspapers as a defaulter.

10. Refund of label security fee. — Subject to the provisions of sub-regulation (2) of regulation 9, a permittee shall be entitled to a refund of the label security fee, on ceasing to manufacture Self-ballasted LED lamps.

11. Verification by Bureau. — (1) The Bureau or its designated agency may, either suo motu, or on a complaint received by it, carry out verification to ensure that the self-ballasted LED lamp conforms to the star level and other particulars displayed on its label and that it complies with the other terms and conditions of permission.

(2) For the purpose of verification, samples shall be picked up at random by Bureau or its designated agency from the manufacturing facility, warehouse or the retail outlet as it deems fit.

(3) Where, upon a complaint received under sub-regulation (1), the Bureau is required to carry out verification by challenge testing the self-ballasted LED lamp in an independent laboratory duly accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories, a notice shall be issued to the permittee in form V for carrying out such testing and the complainant shall be called upon to deposit, such expenses relating to sample cost, testing, transportation and other incidental expenses with the Bureau, within such time, as may be determined by Bureau, provided that the sample drawn under challenge testing fails, all expenses towards the cost of sample, transportation of sample and the testing charges, shall be reimbursed by the permittee to the Bureau and the Bureau shall refund the aforesaid expenses to the complainant; and where the equipment passes the challenge test, then, the expenses deposited by the complainant shall stand forfeited.

(4) Where samples of self-ballasted LED lamp used for testing fails the test during suo motu testing or challenge testing, the permittee shall be offer another opportunity and the Bureau shall conduct second test with twice the quantity of self-ballasted LED lamp used in the first test in an independent test laboratory which is different from the lab where the first check testing was conducted and shall be duly accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories at the cost of the permittee and the Bureau shall intimate the permittee in Form V to witness the challenge testing referred to in sub-regulation (3) or the second test referred to in sub-regulation (4) and the expenses to be made towards the procurement and testing of sample.

(5) Where the second test fails, the Bureau shall, —

(a) direct the permittee in Form VI, under intimation to all the State Designated Agencies, that the permittee shall, within a period of two months,-

(i) correct the star level displayed on the label of the self-ballasted LED lamp or remove the defects and deficiencies found during testing;

(ii) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and

(iii) change the particulars displayed on advertising material;

(b) publish for the benefit of the consumers, the name of the concerned permittee, brand name, model name or model number, logo and other specifications in any national or regional daily newspaper and in any electronic means or in any other manner as it deems fit, within two months; and

(c) intimate to the concerned State Designated Agency to initiate adjudication proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the Act.

(6) The permittee shall within ten days of the conclusion of the period of two months referred to in sub-regulation (5), —

(a) send the compliance report in Form VII to Bureau with respect to action taken in compliance with the direction; and

(b) in case the compliance report referred to in clause (a) is not received or received without complying to any of the direction within the specified period, it shall be deemed as non-compliance of the direction issued and orders to that effect shall be passed by the Bureau.

(7) The Bureau shall send a copy of the compliance report referred to in clause (a) and orders passed in clause (b) of sub-regulation (6) along with necessary documents to all the State Designated Agencies for the purpose of taking action under section 17 of the Act and enforcement of the orders passed under clause (b) of the said sub-regulation.

(8) Where the permittee fails to comply with the directions issued by the Bureau under sub-regulation (5), the Bureau under intimation to all State Designated Agencies, shall, —

(a) withdraw the permission granted to the permittee under sub-regulation (1) of regulation 7;

(b) send report to the Central Government accompanied by the test report in support of the failure by the permittee to conform to the energy consumption standards notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act, the directions of the Bureau referred to in clause (a) of sub-regulation (6) for consideration and taking action under clause (c) of section 14 of the Act by the Central Government;

(c) publish for the benefit of the consumers, the name of any permittee, brand name, model name or model number, logo and other specification in any national or regional daily newspaper and in any electronic or in any other manner as it deems fit within two months; and

(d) intimate to the concerned State Designated Agencies to initiate further adjudication proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the Act.

12. Cancellation of permission. — The Bureau may cancel the permission granted under regulation 7, if the permittee,

(a) fails to comply with any of the terms and conditions specified under regulation 8;

(b) fails to pay label fee within the period specified under regulation 9; or

(c) does not comply with the direction issued under regulation 11;

Provided that no application shall be cancelled without giving permittee a reasonable opportunity of being heard in respect of cancellation of permission.

ABHAY BAKRE, Director General

[ADVT.-III/4/Exty./220/2023-24]

FORM I – (A)

[See regulation 6 (2)]

(To be printed in Company letter head)

Application for registration of brand of Self-ballasted LED lamps under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Self-ballasted LED lamps) Regulations, 2023

The Director General

Bureau of Energy Efficiency,

(Ministry of Power, Government of India) 4th Floor, Sewa Bhawan,

Sector-I, R.K. Puram, New Delhi – 110 066, India.

I/We am/are the manufacturer/manufacturers of Self-ballasted LED lamps carrying out business at..........................(full business address) under the style of (full name of individual or firm) hereby apply for permission to affix label on Self-ballasted LED lamps as specified by the Bureau in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Self-ballasted LED lamps) Regulations, 2023.

The details of the information in respect of the equipment, company, manufacturing facility and payment is given in Annexure. A photocopy of the certificate of incorporation issued by the Registrar of Firms or Societies or Director of Industries (in case of Small Scale Units) or similar other documents authenticating the name of the firm and its manufacturing premises is enclosed.

(a) Applicant/Authorised person: .... (Name and Designation) is authorised to make this application on behalf of the company/firm or other authorities. and will be responsible for accuracy of the information supplied with this application.

(b) Contact person (Name and designation) is authorised to be the contact person for coordination with the Bureau in respect of this application and use of the label.

(c) I/We undertake to intimate to the Bureau of any change in the authorized persons defined in (a) or (b) above

3. Production and sale figures of the said equipment and the value thereof to the best of my/our knowledge and estimates are as follows:

Year	Production	Sales	Maximum retail price of the equipment (Rs.)
Last year from................to.................. Current year from........to (estimate)			

4. A label security fee of one lakh rupees or twenty-five thousand rupees as the case may be has been paid by electronic mode (To be filled only at the time of submission of label security fee).

5. I/We agree to pay the labelling fee as specified by the Bureau.

6. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/co-operation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.

7. I/We authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.

8. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my knowledge, and if any of the information supplied is found to be incorrect; the application may be rejected forthwith. Dated this ....Day of ………(Year)

Signature ....

Name ....

Designation ....

or and on behalf of...........................

Name of the firm) / SEAL OF FIRM

Annexure

[See para 2 of Form I – (A)]

1. Details of the Company

Name of the Company	
Address	
Pin Code	
State	
Phone No.	
Fax No.	
E-mail	
Website	
Enclosures to support registration: (a) Document authenticating the name and address of the manufacturing or business premises (b) Trade Mark Certificate (c) SSI Certificate, if applicable (d) Quality Management System Certificate (e) Authorised Signatory Letter (f) BIS License, if applicable (g) Demand Draft (Security Deposit)/ payment receipt in case payment is made online	Yes/No

2. Details of the manufacturing premise (a separate table may be provided in case of more than one manufacturing facility)

Name of the manufacturing facility	
Address	
Pin Code	
State / Country	
Phone No.	
Fax No.	
E-mail	
Website	
Any other details (if any)	

Signature ....

Name ....

Designation ....

For and on behalf of..........................

(Name of the firm)

SEAL OF FIRM

FORM I

[regulation 6]

Application for permission to affix label on Self-ballasted LED lamps under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Self-ballasted LED lamps) Regulations, 2023

The Director General

Bureau of Energy Efficiency

(Ministry of Power, Government of India)

4th Floor, Sewa Bhawan,

Sector – 1, R.K.Puram

New Delhi-110 066

India.

I/We are the manufacturers or importers of Self-ballasted LED lamps carrying out business at ___________________(full business address) under the style of _________________ (full name of individual or firm) hereby apply for permission to affix label on Self-ballasted LED lamps as specified by the Bureau in the **Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Self-ballasted LED lamps) Regulations, 2023**.

2. Manufacturing Facility: The above equipment is manufactured or imported by ___________ (Name of the company) and is manufactured at ____________ (Name and address of the factory)

3. Details of information: The details of the information in respect of the equipment, company, manufacturing facility, certification for the test products, labels and payment is given in Annexure. A photocopy of the certificate of incorporation issued by the Registrar of Firms or Societies/Director of Industries (in case of Small Scale Units) or similar other documents authenticating the name of the firm and its manufacturing premises is enclosed.

(a) Applicant/authorized person: ______________________ (Name and Designation) is authorised to make this application on behalf of the company/firm/etc., and will be responsible for accuracy and authenticity of the information supplied with this application.

(b) Contact Person: ______________________ (Name and Designation) is the authorized contact person for coordination with the Bureau in respect of this application and the use of the Label.

(c) I/We undertake to intimate to the Bureau of any change in the authorised persons defined in (a) or (b) above

4. Conformance to Standards: I/We conform to the Bureau of Indian Standard/other International Standards Body in respect of Quality System/Other standards in accordance with IS/Others (name and number of the standard) ___________ as specified in the notification on ___________________(title of the notification) for the ________ (name of the equipment). A copy of the License / certificate in respect of the above equipment is enclosed.

I/We have made arrangement for testing at our in-house laboratory ________________ or at independent laboratory ________ (Name and address of the laboratory) which is accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) or International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) or Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC) or equivalent bodies for ensuring consistency in quality of the equipment as well as the scope of the relevant Indian Standard/International Standard Organization/International Electro technical Commission standards as specified in S.O……

a) Test Standard (test procedure/ name/number)

b) Accreditation status:

c) Bureau of Energy Efficiency approval:

5. Production and sales figures of the said equipment and the value thereof to the best of my/our knowledge and estimates are as follows:

Year	Production	Sales	MRP of the equipment (Rs.)
Last year from ______ to ________ Current year from ___ to___(estimate)			

6. (a) An application fee of two thousand rupees paid by electronic mode.

(b) A Label security fee of one lakh rupees or twenty five thousand rupees ________________ has been paid by electronic mode.

(c) I/We agree to pay the labelling fee as specified by the Bureau.

7. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/co-operation to the bureau in case of any enquiry to be made by it.

8. I/We authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.

9. I/We undertake that the information provided in this application is accurate to the best of my knowledge, and if any of the information supplied is found to be incorrect; the application may be rejected forthwith

Dated this …………day of ……. (Year)

Yours Faithfully,

Signature …..………………………

Name ………………………………

Designation ………………………..

For and on behalf of……………….

(Name of the firm)

SEAL OF FIRM

Annexure

[See para 3 of Form I]

Details of Information

1. Product/Equipment Detail

1.1 General (Complete the details as applicable)

Appliance and Type
Brand Name
Model Name and Number
Rated voltage or voltage range
Rated Wattage (Watts)
Rated luminous flux (Lumens)
Rated luminous efficacy (Lumens/Watt)
Star rating

1.2 Technical details (Complete the details as applicable)

a) Tested Values:

S.No	Measured Values		Rated Values	
1.	Measured Wattage (Watts)		Rated Wattage (Watts)	
2.	Measured Luminous flux (Lumens)		Rated Luminous flux (Lumens)	
3.	Measured Luminous Efficacy (Lumen/Watt)		Rated Luminous Efficacy (Lumen/Watt)	

2. Details of test laboratory

Name of the test laboratory	
Accreditation status (i) For Laboratory (ii) For Relevant standards (Attach copy of the accreditation certificate)	Yes/No
Validity of the accreditation (Attach supporting document)	
Address	
Pin Code	

State	
Phone No.	
Fax No.	
E-Mail	
Web site	

3. Labelling information

Date of commencement	
Number of labels applied for BEE for the first year - for the second year - for the third year -	
Product Serial No.	**From ___________ To ___________**

4. Model Details:

Model	**Model Name/Model Number**

5. Specimen of the label along with QR code to be affixed on the self-ballasted LED lamp is shown below:

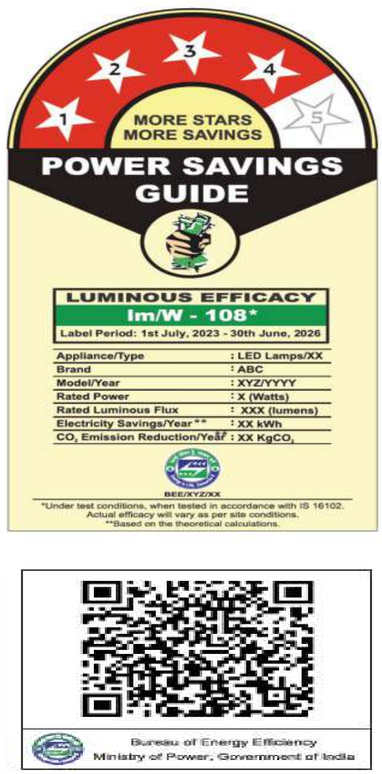

Date

Signature …………………

Name ………………………………...

Designation ………………………….

For and on behalf of…………………

……………………………………….

(Name of the firm)

SEAL OF FIRM

…………………

FORM II – (A)

[See regulation 7 (1) (a)]

Permission for registration of brand of Self-ballasted LED lamps under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Self-ballasted LED lamps) Regulations, 2023

dated.................

To

....

....

....

1. Pursuant to the provisions of regulation 7 of the **Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Form 1A. What is the difference? Manner of their Display on Labels of Self-ballasted LED lamps) Regulations, 2023**, the Bureau hereby permits you to register your brand as per details of approvals set out in Annexure to this letter.

2. This permission is subject to—

   (a) the star level displayed on the label of the Self-ballasted LED lamps shall conform to energy consumption standards for Self-ballasted LED lamps notified under clause (a) of section 14 of the Act and terms and conditions provided in the aforesaid regulations;

   (b) the stamping of the label only on such model of Self-ballasted LED lamps for which permission has been granted;

   (c) the printing and affixture of the label on the Self-ballasted LED lamps at the cost of the permittee;

   (d) the permittee ensuring that the star level displayed on the Self-ballasted LED lamps shall be maintained at all time;

   (e) the permittee paying the label fee as specified by the Bureau;

   (f) the permittee furnishing to the Bureau a statement containing details of the production of the labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year. The same details shall be furnished to the Bureau also through an automated system;

   (g) the permittee making available such other details of Self-ballasted LED lamps as and when sought by the Bureau of which the permission has been granted.

3. The permittee shall not withdraw the registered brand and the Self-ballasted LED lamps from the market during the validity period except with the prior approval of the Bureau.

4. The unique label series code assigned by the Bureau of Energy Efficiency for the brand is............ and should appear on the label as per the approved design.

5. Signed, sealed and dated this................ day of............month .... year.

Yours faithfully

(Secretary)

Bureau of Energy Efficiency

Annexure

[See para 1 of Form II-(A)]

Details of Approvals

1. **Details of the company**

Name of the company	
Address	
Pin code	
State	
Phone number	
Fax number	
E-mail	
Website	

2. **Name of the brand registered:**
3. **Unique series code:**
4. **Other details if applicable:**

Date:

Yours faithfully,

(Secretary)

Bureau of Energy Efficiency

FORM II

[Sub-regulation 7(1)(b)]

Permission / Renewal of Permission to affix label on Self-ballasted LED lamps under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Self-ballasted LED lamps) Regulations, 2023

New Delhi, dated the.........

To

....

....

1. Pursuant to the provisions of regulation 7 of the **Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Self-ballasted LED lamps) Regulations, 2023**, the Bureau hereby permits you to affix label as per details of approvals set out in the Annexure to this letter.

2. This permission is subject to—

(a) the star level displayed on the label of the Self-ballasted LED lamps shall conform to energy consumption standards for Self-ballasted LED lamps notified under clause (a) section 14 of the Act and terms and conditions provided in the aforesaid regulations;

(b) the label shall be affixed only on such model of Self-ballasted LED lamps for which permission has been granted;

(c) the label shall be printed and affixed on the Self-ballasted LED lamps at the cost of the permittee;

(d) the permittee shall ensure that the star level displayed on the Self-ballasted LED lamps shall be maintained at all time;

(e) the permittee shall pay the label fee of five paisa per label;

(f) the permittee shall furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following

month of the close of each quarter of the financial year. The same details shall be furnished to the Bureau also through automated systems;

(g) the permittee shall make available such other details of Self-ballasted LED lamps as and when sought by the Bureau for which the permission has been granted.

3. This permission shall be valid for from .... to ....and may be renewed as prescribed. The permittee shall not withdraw the Self-ballasted LED lamps from the market during the validity period of permission except with the prior approval of the Bureau.

4. The unique label series code assigned by Bureau of Energy Efficiency for the equipment is............and should appear on the label as per the approved design.

5. Where the star level plans on review is modified by the Central Government, the star level of the Self-ballasted LED lamps shall stand modified as follows:-

(a) if new model is launched synchronizing with the revised star level, an application for such permission shall be made to Bureau six months in advance of the date from which new star level comes in to force;

(b) where the existing model is continued to give effect to the modified star level, only a declaration in Form IV shall be submitted to the Bureau.

6. Signed, sealed and dated this................ day of ……….month............. year.

(Secretary)

Bureau of Energy Efficiency

Annexure

[See para 1 of Form II]

Details of Approvals

1. **Details of the equipment**

   (a) **Brand:**

   (b) **Model Details:**

Model	Model Name	Model Number

   (c) **Technical Specification:**

Sl.No	Measured Values		Rated Values	
	Wattage (Watts)		Wattage (Watts)	
	Luminous flux (Lumens)		Luminous flux (Lumens)	
	Luminous Efficacy (Lumens/Watts)		Luminous Efficacy (Lumens/Watts)	

2. **Label Details**

Appliance and Type	
Name of the manufacturer/importer/Brand	
Model and Year of Manufacturing	
Star level	
Rated Wattage (Watts)	
Rated Luminous flux (Lumens)	
Rated Luminous Efficacy (Lumens/Watts)	
Label Period	
Unique Series Code	

3. The label design, size, colour scheme, material to be used for the label and the content of the label and colour scheme of the Bureau's logo shall be as specified in the Schedule of this regulation.

4. Specimen of the label duly approved by the Bureau to be affixed on the self-ballasted LED lamps is shown below (Separate specimens for family of models is annexed).

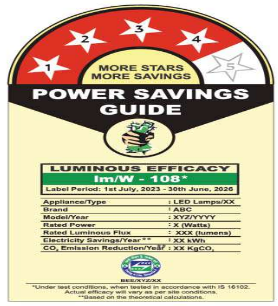

The unique label series code provided in the letter has to be mentioned in the label affixed on the Self-ballasted LED lamps.

Date ....

Yours faithfully

(Secretary)

BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

FORM III

[See sub-regulation (2) of regulation 7]

Register of Permittees to be maintained by Bureau of Energy Efficiency (template)

Sl. No.	Application No. and Date of Permission	Name and details of the permittee (Contact Person, Address, Pin Code, State, Phone No., Fax No., E-mail, Website)	Details of equipment for which the permission has been granted	Star level or Efficiency level declared	Bureau of Energy Efficiency permission number and unique label series	Period for which the permission has been granted
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Amount of Label Security Fee	Label Security Fee received by (Electronic transaction (Details): Date:)	Amount of Application Fees received	Details of Application Fee Amount received (Electronic transaction (Details) : Date :)
(8)	(9)	(10)	(11)

Total number of labels affixed during each financial year	Amount of labeling fee payable to Bureau of Energy Efficiency for each financial year	Labeling fee details received for each financial year (Electronic transaction Details): Date:)	Remarks
(12)	(13)	(14)	(15)

Form IV

[See sub-regulation (7) of regulation 7]

Declaration by Permittee seeking continuation of the permission to affix label on the existing model

(For each different model, a separate letter shall be submitted along with respective Annexure)

(On the letter head of corporate body/Permittee)

Date:

To

The Director General

Bureau of Energy Efficiency

(Ministry of Power, Government of India)

4th Floor, Sewa Bhawan,

Sector 1, R.K.Puram,

New Delhi-110 066

India.

Sub: Application for permission to affix label vide Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Self-ballasted LED Lamps) Regulations, 2017 on revision of star level effective from ……….

1. I/ We are the manufacturers / importers of self-ballasted LED lamps carrying on business at [COMPANY NAME WITH FULL ADDRESS] under the style of [FULL NAME OF INDIVIDUAL OR FIRM] hereby apply for permission to affix label on self-ballasted LED lamps as specified by the Bureau in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Self-ballasted LED Lamps) Regulations, 2017 which would go for revision of star level with effect from............

2. The above equipment is manufactured or imported by [FULL NAME OF INDIVIDUAL OR FIRM] and is manufactured at (NAME AND ADDRESS OF FACTORY) or imported from (NAME AND ADDRESS OF IMPORTER);

3. Conformance to New star level: I/We conform to the table change as per TABLE ......as specified in the S.O. number ....dated........for self-ballasted LED lamps. A copy of the Bureau's approval in respect of the above equipment (which was earlier approved) is enclosed.

4. A copy of the Bureau of Energy Efficiency Label (as per revision of star level change) in respect of the self-ballasted LED lamps is enclosed.

5. Details of the Equipment / Model as per revision of star level

Model Name - ____________________________

<table>
<tr><th>Particulars</th><th colspan="2">Declared Values</th></tr>
<tr><td>Wattage (Watts)</td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td>Luminous flux (Lumens)</td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td>Luminous Efficacy (Lumens/Watts)</td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td>Star Rating</td><td>(As per existing star level)</td><td>(As per the revised star level)</td></tr>
</table>

6. I/We agree to change the star level from [EXISTING STAR LABEL LEVEL] To [REVISED STAR LABEL LEVEL] in manual application as well as in the online web portal.

7. I have submitted my quarterly production data and labelling fee till date for the said self-ballasted LED lamps model.

8. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/cooperation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.

9. I/We authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.

10. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my/our knowledge, and should any of the information supplied is found to be incorrect, the application may be rejected forthwith.

Date:

Day of ……………….. (Year)

Signature ……………………………

Name ………………………………..

Designation ………………………….

For and on behalf of…………………

……………………………………….

(Name of the firm)

SEAL OF FIRM

FORM V

[See regulation 11 (3)]

Intimation to permittee to witness Challenge test/Second test

To New Delhi, dated the…………

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the **Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Self-ballasted LED lamps) Regulations, 2023** you were permitted to affix label on the Self-ballasted LED lamps vide Bureau of Energy Efficiency letter No..............dated subject to the compliance of the terms and conditions specified therein.

2. The Bureau, under regulation 11 of the **Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Self-ballasted LED lamps) Regulations, 2023**, had purchased a Bureau of Energy Efficiency star labelled Self-ballasted LED lamps from your authorized distributor/dealer/retailer vide Invoice number ....dated…….. for a price of Rs............... and lifted as a sample dated by ___ for the purpose of suo motu testing or challenge testing. The samples were purchased by M/s, an agency appointed by the Bureau for verification of the particulars displayed on the label under regulation 3 of the aforesaid regulations, affixed by you on the aforesaid purchased Self-ballasted LED lamps. The sample duly sealed by M/s.............. bearing serial number-------- was obtained from M/s.........(Name of the Distributor, dealer, retailer) under signatures of the duly authorized representative of the verification agency.

3. The Bureau through its aforesaid verification agency had transported the sample referred to in para 2 to M/s.---------,a National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited laboratory for conducting tests in accordance with the test procedure indicated in paragraphs 3, 4 and 5 of the notification number S.O....dated...... for giving test report in accordance with the Form given in Annexure to the notification number S.O. ....

4. The details of the product and the suo motu test results (if applicable) is enclosed with this letter. Now, therefore in pursuance of the provisions of sub-regulation (1) of regulation 11 of the **Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Self-ballasted LED lamps) Regulations, 2023**, the Bureau is conducting suo motu test/challenge test (as applicable) on ……..(date) at …………(Name of laboratory), accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories.

5. Pursuant to the provisions of sub-regulation (4) of regulation 11of the **Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Self-ballasted LED lamps) Regulations, 2023**, the Bureau hereby intimates to-

(i) nominate an official to witness challenge test/second test on the above date specified along with an authorization letter indicating (in original) the name, designation and signature of the nominated official (the letter shall be duly signed and stamped by authorized signatory of the company).

(ii) deposit such cost towards procurement, transportation, testing and other incidental expenses as

mentioned in Annexure, within fifteen days from the date of issuance of this letter (the expenses shall be deposited through electronic mode).

6. You may note that the Bureau shall continue the verification by challenge test or second test, even if the aforementioned expenses are not made in time or the officials are not nominated as specified and shall take further follow up action in the matter in terms of sub-regulation (5) of regulation 11 of the **Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Self-ballasted LED lamps) Regulations, 2023**.

7. Signed, sealed and dated this................ day of………month ....year.

(Secretary)
Bureau of Energy Efficiency

Enclosures:

1. Details of product/ suo motu test results
2. Annexure V(a)
3. Invoice related to the expenses

Annexure

[See para 5 of Form V]

Details of Information

1. Product or equipment details picked up for challenge test/second test

Brand name:
Unique label series code:
Model name/Model number:
Rated voltage or voltage range
Rated Wattage (Watts)
Rated luminous flux (Lumens)
Rated luminous efficacy (Lumens/Watt)
Star rating

1. Amount to be deposited to the Bureau:

Details	Numbers/ expenses (in Indian Rupee)
Number of samples	
Cost per sample	
Total purchasing cost	
Total testing charges	
Transportation charges (if applicable)	
Others (if applicable)	
Total amount to be paid by the permittee	

2. Results of suo moto test (if applicable):

Sl. No.	Brand	Model Name/ No.	Measured Values		Declared Values		Remarks
			Measured Wattage (Watts)		Rated Wattage (Watts)		
			Measured Luminous flux (Lumens)		Rated Luminous flux (Lumens)		
			Measured Luminous Efficacy (Lumen/Watt)		Rated Luminous Efficacy (Lumen/Watt)		

Date:….

(Secretary)

Bureau of Energy Efficiency

FORM VI

[See sub-regulation (5) of regulation 11]

Direction to Permittee on failure of second check testing

To New Delhi, dated the…..

....

....

....

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Self-ballasted LED lamps) Regulations, 2023, you were permitted to affix label on the Self-ballasted LED lamps vide Bureau of Energy Efficiency letter No. ....dated....... subject to the compliance of the terms and conditions specified therein.

2. The Bureau, under Regulation … of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Self-ballasted LED lamps) Regulations, 2023, had purchased a Bureau of Energy Efficiency star labelled Self-ballasted LED lamps from your authorised Distributor, dealer, retailer vide Invoice number ....dated for a price of Rs................ and lifted as a sample dated ……by M/s......................, an agency appointed by the Bureau for verification of the particulars displayed on the label under regulation 3 of the aforesaid regulations, affixed by you on the aforesaid purchased Self-ballasted LED lamps. The sample duly sealed by M/s............... bearing serial number……..was obtained from M/s..........(Name of the Distributor, dealer, retailer) under signatures of the duly authorised representative of the verification Agency.

3. The Bureau through its aforesaid Verification Agency had transported the sample referred to in para 2 to M/s. ...., a National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited laboratory for conducting tests in accordance with the test procedure indicated in paragraphs 4 and 5 of S.O. number ……dated the …. for giving Test Report in accordance with the Form ….given in Annexure to S.O.. number…….. dated the ……..

4. The results of the Test Report on the sample bearing Unique Identification serial number is enclosed. The results of the Test Report indicated that the sampled Self-ballasted LED lamps failed to meet the type test at total losses at 50% loading and total loss at 100% etc. and did not conform to the Test details furnished by you in Form 1 annexed to the Application submitted by you for seeking permission to affix label on the Self-ballasted LED lamps manufactured/imported by you. The Test Results were sent to you vide Bureau of Energy Efficiency letter No... ..... dated........in the name of your authorised Contact person. You were also requested to attend and witness the Second Check Verification Test of the samples at the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories Accredited Laboratory M/s...

5.The Sample for second check verification Test were picked up …. dated the …. through our authorised Agency M/s. ....and transported to the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited Laboratory transported by our authorised Agency, duly sealed by M/s............... and was given Unique Identification serial number embossed on the said sample obtained from ....under signatures of the duly authorised representative of the verification Agency as well as your representatives.

6. The Test results of second check testing are enclosed which are dully checked and counter signed by the competent authorised personnel of the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories Accredited Laboratory. The test report is also duly signed by your authorised signatory as witness of 2nd check testing. The Test Results confirm that they failed to meet the requisite parameters and standards given in S.O. number …. dated, …. and the terms and conditions of the permission given to you for display of particulars on label affixed to the Self-ballasted LED lamps manufactured/imported and sold in the market .

7. Now, therefore in exercise of the power conferred clause (a) of sub-regulation (5) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Self-ballasted LED lamps) Regulations, 2023, the Bureau hereby directs to :-

(i) correct the star level displayed on the label of the Self-ballasted LED lamps or remove the defects and deficiencies found during testing;

(ii) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and

(iii) change the particulars displayed on advertising material.

8. You are hereby directed to complete the aforesaid corrective action within two months from the date of issue of this letter and send the compliance report in Form VI within 10 days after the expiry of two months i.e. by .... .In case no compliance report is received by the said date the Bureau shall proceed to take action in terms of

clause (b) of sub-regulation (6) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Self-ballasted LED lamps) Regulations, 2023.

9. The Bureau shall take further follow up action in the matter in terms of regulations (5) (6)(7) and (8) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Self-ballasted LED lamps) Regulations, 2023.

Secretary,

Bureau of Energy Efficiency

Enclosures:
1. Test reports of the failed model
2. Correspondence with the manufacturer

Form VII

[See sub-regulation (6) of regulation 11]

Action Taken Report

(To be furnished on the letter head of the organisation)

To Dated…..

THE SECRETARY,
BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY
(MINISTRY OF POWER, GOVERNMENT OF INDIA)
4TH FLOOR, SEWA BHAWAN,
SECTOR 1, R.K.PURAM,
NEW DELHI-110 066
INDIA.

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the **Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Self-ballasted LED lamps) Regulations, 2023**, we M/s..the manufacturer of Self-ballasted LED lamps were permitted to affix label on the Self-ballasted LED lamps conforming to the energy consumption standard of ....star level vide Bureau of Energy Efficiency letter No.................dated...............for the model number......................... ....

Pursuant to the provisions of sub-regulation (5) of regulation 11 of the **Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Self-ballasted LED lamps) Regulations, 2023**, we were given directions vide Bureau of Energy Efficiency letter number....................dated........... to take necessary corrective action. In the light of directive issued by Bureau of Energy Efficiency, we hereby declare that the following actions have been taken at our end.

	Action Directed	Status	Action Taken
(i)	Correct the star level displayed on the label of the Self-ballasted LED lamps to comply with the directions of the Bureau	Yes/No/NA	The star level has been corrected from.............star to.......................star with effect from (Date)
(ii)	Withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau. and	Yes/No/NA	All the stocks from the market have been withdrawn to comply with the directions of the Bureau.
(iii)	Change the particulars displayed on advertising material.	Yes/No/NA	Yes/No/NA

The above declaration is true to the best of our knowledge and belief.

Signature…………………..
Name………………………
Designation………………..
For and on behalf of............
Name of the Company/Firm etc
Seal of the Firm/Company".

Schedule

[See sub-regulation (2) of regulation 3]

Particulars to be displayed on labels of Self-ballasted LED lamps.

(a) Label design, size, colour scheme and content of the label shall include:-

(i) the following dimensional design of label, namely:—

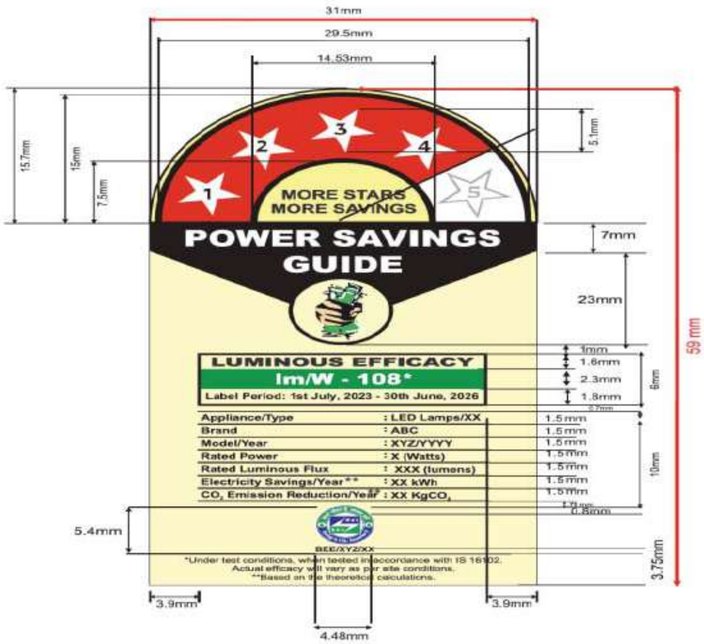

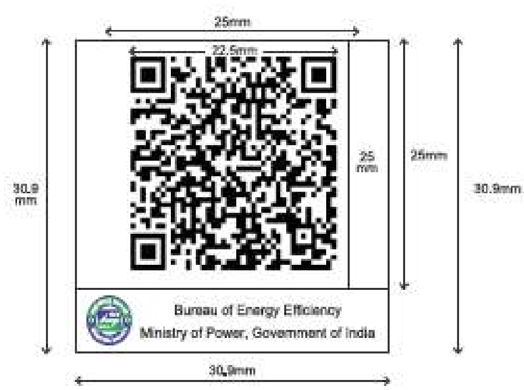

Dimension of the label and QR code to be stamped on the lamp:

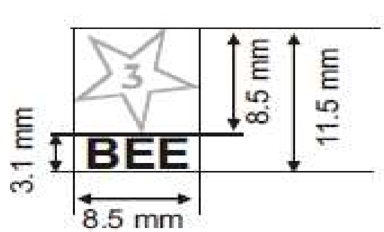

(ii) the following colour scheme for the label, namely:—

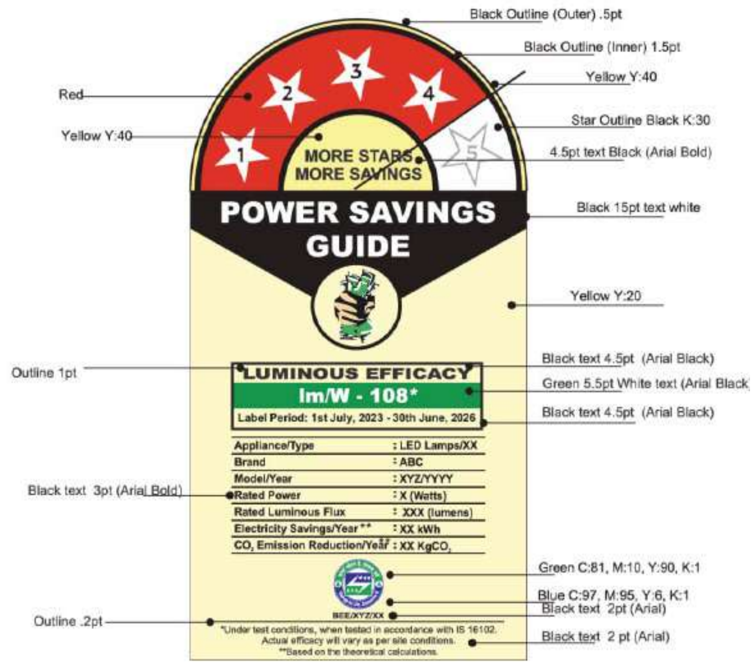

BLUE –

Hue(H)-239° Saturation(S):64% Brightness(B):59%

Luminance or lightness(L) :28, chromatic components -a:24 b:54

Red(R):54 Green(G):55 Blue(B):151

Cyan(C):97% Magenta(M):95% Yellow(Y):6% Black(K):1%

Web colour code - #363797

GREEN –

Hue(H)-150° Saturation(S):10% Brightness(B):67%, Luminance or lightness(L) :61, chromatic components - a:-53 b:32, Red(R):0 Green(G):170 Blue(B):87

Cyan(C):81% Magenta(M):10% Yellow(Y):90% Black(K):1%, Web colour code - #00AA56;

(iii) following label to be affixed on Self-ballasted LED lamps:-

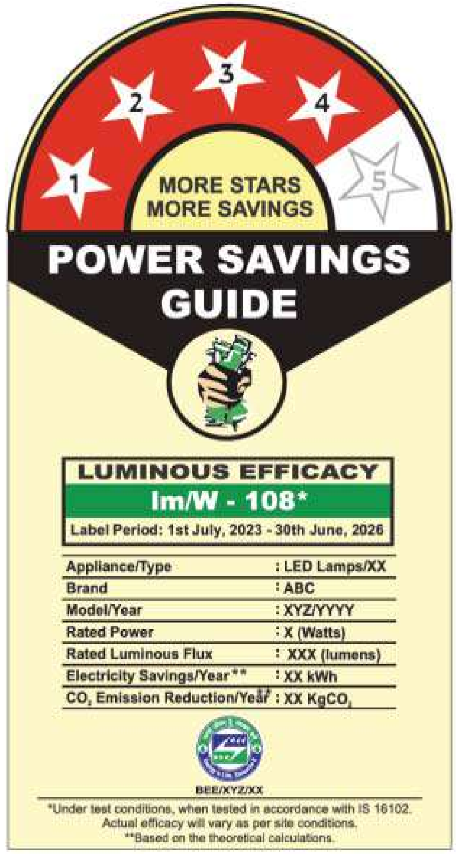

Bureau of Energy Efficiency
Ministry of Power, Government of India

(2) **Label Material**

The label shall be of durable cardboard, if it is to be attached as a swing tag, or be self-adhesive and shall be cut to one of the outlines shown in dimension design scheme for the label".

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02072020-220319
CG-DL-E-02072020-220319

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1924] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 2, 2020/आषाढ़ 11, 1942
No. 1924] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 2, 2020/ASHADHA 11, 1942

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2020

का.आ. 2178(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 4097 (अ), तारीख 27 दिसंबर, 2017 में निम्नलिखित और संशोधन करती हैं, अर्थात् :

उक्त अधिसूचना में, पैरा 3 के उप-पैरा (3) में "1 जनवरी, 2018 से 30 जून, 2020 तक " और "1 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2023 तक " अंक और शब्द जहां कहीं भी आते हैं, के स्थान पर क्रमशः "1 जनवरी, 2018 से 31 दिसंबर, 2020" और "1 जनवरी, 2021 से 30 जून, 2023" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 10/8/2020– ईसी]

राज पाल, आर्थिक सलाहकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-धारा (ii), अधिसूचना संख्या का. आ. 4097 (अ), तारीख 27 दिसंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पशात अधिसूचना संख्या का. आ. 938 (अ), तारीख 21 फरवरी, 2019 तथा अधिसूचना संख्या का. आ. 3631 (अ), तारीख 9 अक्टूबर, 2019 द्वारा संशोधन किए गए थे ।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2020.

S.O. 2178(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby makes the following amendments further to amend the notification of the Government of India in the Ministry of Power number S.O. 4097 (E), dated the 27th December, 2017, namely:—

In the said notification, in paragraph 3, in sub-paragraph (3), for the figures and words "1st January, 2018 to 30th June, 2020" and "1st July, 2020 to 30th June, 2023", wherever they occur, the figures and words "1st January, 2018 to 31st December, 2020" and "1st January, 2021 to 30th June, 2023" shall respectively be substituted.

[F. No. 10/8/2020-EC]

RAJ PAL, Economic Adviser

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 4097 (E), dated the 27th December, 2017, subsequently amended *vide* notification number S.O. 938 (E), dated the 21st February, 2019 and notification number S.O. 3631 (E), dated the 9th October, 2019 respectively.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2020.07.02 18:15:42 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3310] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 9, 2019/आश्विन 17, 1941
No. 3310] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 9, 2019/ASVINA 17, 1941

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 2019

का.आ. 3631(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में तारीख 28 दिसम्बर, 2017 को प्रकाशित भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 4097 (अ), तारीख 27 दिसम्बर, 2017, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, -

(क) पैरा 1 में, खंड (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"भारतीय मानक 16102 (भाग 1) के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो का लाइसेंस प्रमाणन चिह्न आवश्यक है।";

(ख) पैरा 3 में,

(i) उप-पैरा(3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(3) स्टार लेबल वाले सेल्फ बालास्टेड एलईडी लैम्प निम्नलिखित स्टार स्तर पैरामीटरों के अनुसार, ल्युमिनस फ्लक्स (ल्यूमिन),वॉटेज (वॉट) और ल्युमिनस क्षमता (ल्यूमन / वॉट), के आधार पर विहित किए जाएंगे, जिन्हें सारणी 3.1 या सारणी 3.2, से विनिर्माण या आयात या बिक्री के वर्ष के आधार पर प्राप्त किया जाएगा जैसा सारणी 'क' के आधार पर विनिर्दिष्ट किया जाएगा और ल्युमिनस क्षमता (ल्यूमन / वॉट) का उपयोग स्टार रेटिंग बैंड और मॉडल की स्टार रेटिंग का अवधारण करने में किया जाएगा, अर्थात्:—

ल्युमिनस क्षमता (ल्यूमन / वॉट) = ल्युमिनस फ्लक्स (ल्युमन) / वॉटेज (वॉट)

सारणी क

क्र. सं.	उत्पाद विनिर्माण या आयात या बिक्री की अवधि	उत्पाद के लिए स्टार स्तर अवधारित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सारणी
(1)	(2)	(3)
1.	1 जनवरी, 2018 से 30 जून, 2020 तक	3.1
2.	1 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2023 तक	3.2

सारणी 3.1

1 जनवरी, 2018 से 30 जून, 2020 तक स्टार स्तर वैधता

क्र. सं.	स्टार रेटिंग बैंड	ल्युमिनस क्षमता (ल्यूमन / वॉट)
(1)	(2)	(3)
1.	1 स्टार *	≥68 और <79–फ्रीज़
2.	2 स्टार **	≥79 और <90
3.	3 स्टार ***	≥90 और <105
4.	4 स्टार ****	≥105 और <120
5.	5 स्टार *****	≥120

सारणी 3.2

1 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2023 तक स्टार स्तर वैधता

क्र. सं.	स्टार रेटिंग बैंड	ल्युमिनस क्षमता (ल्यूमन / वॉट)
(1)	(2)	(3)
1.	1 स्टार *	≥79 और <90 –फ्रीज़
2.	2 स्टार **	≥90 और <105
3.	3 स्टार ***	≥105 और <120
4.	4 स्टार ****	≥120 और <135
5.	5 स्टार *****	≥135 ";

(ii) उप-पैरा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(4) सारणी 3.1 और सारणी 3.2 में विनिर्दिष्ट 1 स्टार के लिए सेल्फ बालास्टेड एलईडी लैम्प पर विवरणों को प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसे प्रत्येक सारणी के लिए निर्दिष्ट किया गया है, ताकि उक्त सेल्फ बालास्टेड एलईडी लैम्प के न्यूनतम ऊर्जा निष्पादन स्तर को उन्नत किया जा सके।

(iii) उप-पैरा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(5) स्टार लेवल योजना की समीक्षा सारणी 3.2 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के समापन से पहले की जाएगी और इसके बाद प्रत्येक तीन वर्ष में स्टार लेवल योजना की समीक्षा की जाएगी।" ।

[फा. सं. 21/14/2019--ईसी]

राज पाल, आर्थिक सलाहकार

टिप्पणी : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधरण, भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में का.आ. सं. 4097(अ), तारीख 27 दिसम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चातवर्ती संशोधन का.आ. सं. 938(अ), तारीख 21 फरवरी, 2019 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2019

S.O. 3631(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Power number S.O. 4097 (E), dated the 27th December, 2017 published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 28th December, 2017, namely:—

In the said notification,-

(a) in paragraph 1, for clause (iii), the following clause shall be substituted, namely:-

"(iii) have Bureau of Indian Standards license mark certification in accordance with Indian Standard 16102 (Part 1).";

(b) in paragraph 3,-

(i) for sub-paragraph (3), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(3) The star level of the self-ballasted LED lamps shall be determined on the basis of star level parameters, luminous flux (lumens), wattage (watts) and luminous efficacy (lumen/ watt), which shall be obtained from Table 3.1 or Table 3.2, depending on the year of manufacturing or import or sale as specified in Table A and the luminous efficacy (lumen/watt) shall be used to determine the star rating band and star rating of model, namely:—

Luminous Efficacy (Lumen/Watt) = Luminous Flux (Lumen)/ wattage (Watt)

TABLE A

S.No.	Period of product manufacturing or import or sale	Table to be used for determining star level to a product
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	**From 1st January, 2018 to 30th June, 2020**	**3.1**
2.	**From 1st July, 2020 to 30th June, 2023**	**3.2**

TABLE 3.1
Star level valid from 1st January, 2018 to 30th June, 2020

S. No.	Star rating band	Luminous Efficacy (Lumen/Watt)
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	1 Star *	≥68 and <79 –Freeze
2.	2 Star **	≥79 and <90
3.	3 Star ***	≥90 and <105
4.	4 Star ****	≥105 and <120
5.	5 Star *****	≥120

TABLE 3.2
Star level valid from 1st July, 2020 to 30th June, 2023

S. No.	Star rating band	Luminous Efficacy (Lumen/Watt)
(1)	(2)	(3)
1.	1 Star *	≥79 and <90 –Freeze
2.	2 Star **	≥90 and <105
3.	3 Star ***	≥105 and <120
4.	4 Star ****	≥120 and <135
5.	5 Star *****	≥135.”;

(iv) for sub-paragraph (4), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

“(4) The permission for display of particulars on self-ballasted LED lamps for 1 star specified in Table 3.1 and Table 3.2 shall not be permitted for the validity period so specified for each table, with a view to upgrade the minimum energy performance level of such self-ballasted LED lamps.”;

(v) for sub-paragraph (5), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

“(5) The star level plan shall be reviewed before the expiry of the period specified under Table 3.2 and thereafter, the star level plan shall be reviewed every three years.”.

[F. No. 21/14/2019-EC]

RAJ PAL, Economic Advisor

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 4097(E), dated the 27th December, 2017 and subsequently amended vide notification number S.O. 938 (E), dated the 21st February, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.10.09 21:59:59 +05'30'

lighting services having rated power from 3 watts to 25 watts, that works on single phase alternating current supply up to and including 250V, 50Hz for the purposes of the said Act, and directs that any such appliances or class of appliances being manufactured or sold or purchased or imported for sale shall display particulars on labels in the manner specified in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Self-ballasted LED Lamps) Regulations, 2017 made under the Energy Conservation Act, 2001.

[F. No. 13/19/2015 (Part II)-EC]

RAJ PAL, Economic Adviser

का.आ. 938(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से स्टार लेबल वाले सेल्फ बालास्टेड एलईडी लैम्प के लिए निम्नलिखित ऊर्जा खपत मानकों को निर्दिष्ट करती है जिसमें बिजली की खपत 3 वॉट से 25 वॉट तक होती है, के प्रयोजन के लिए भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3 उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित का. आ. अधिसूचना सं. 4097 (अ.) तारीख 28 दिसंबर, 2017 में संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. उक्त अधिसूचना में, -

(क) पैरा 1 में, "प्रत्येक सेल्फ बालास्टेड एलईडी लैंप" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"प्रत्येक सेल्फ बालास्टेड एलईडी लैम्प जिसकी बिजली खपत 3 वॉट से 25 वॉट के बीच है";

(ख) पैरा 2 में, खंड (क) को खंड (कक) के रूप में दूसरा नाम दिया जाएगा और दूसरा नाम दिए गए खंड (कक) से पहले, इसलिए निम्नलिखित खंड को अन्त: स्थापि□त किया जाएगा, अर्थात् :-

'(क) प्रारंभिक ल्यूमिनस फ्लक्स से परीक्षण के 0 घंटे पर होने वाला लैम्प ल्यूमिनस फ्लक्स अभिप्रेत है। यह ल्यूमेन (एलएम) में मापा जाता है, मापे गए नमूने में प्रत्येक अलग अलग एलईडी लैम्प का प्रारंभिक ल्यूमिनस फ्लक्स 10 प्रतिशत से अधिक रेटेड ल्यूमिनस फ्लक्स से कम नहीं होगा और मापे गए नमूनों का औसत प्रारंभिक ल्यूमिनस फ्लक्स 7.5 प्रतिशत से अधिक रेटेड ल्यूमिनस फ्लक्स से कम नहीं होगा;'

(ग) उप-पैरा (3) और उसकी सारणी के पश्चात, निम्नलिखित उप-पैरा अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(3 क) रजिस्ट्रीकरण प्रयोजन के लिए मॉडल (समूह दिशानिर्देश) का परिवार निम्नलिखित सारणी और प्रक्रिया के अनुसार विचार में लिया जाएगा, अर्थात्:-

"सारणी

समूह अभिहित कोड	**ल्यूमेन रेंज**	**सीसीटी 2700K - <3500K**	**सीसीटी 5000K -<5000K**	**सीसीटी 5000K - <6500K**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
क	100-500	<परिवार क3$_{(1)}$ – परिवार क3$_{(n)}$ >	< परिवार क4$_{(1)}$ – परिवार क4$_{(n)}$ >	< परिवार क5$_{(1)}$ – परिवार क5$_{(n)}$ >
ख	501-1000	< परिवार ख3$_{(1)}$ – परिवार ख3$_{(n)}$ >	< परिवार ख4$_{(1)}$ – परिवार ख4$_{(n)}$ >	< परिवार ख5$_{(1)}$ – परिवार ख5$_{(n)}$ >
ग	1001-1500	< परिवार ग3$_{(1)}$ – परिवार	< परिवार ग4$_{(1)}$ – परिवार	< परिवार ग5$_{(1)}$ – परिवार

		ग$3_{(n)}$ >	ग$4_{(n)}$ >	ग$5_{(n)}$ >
घ	1501-2500	< परिवार घ$3_{(1)}$ – परिवार घ$3_{(n)}$ >	< परिवार घ$4_{(1)}$ – परिवार घ$4_{(n)}$ >	< परिवार घ$5_{(1)}$ – परिवार घ$5_{(n)}$ >
ड.	>2500	< परिवार ड.$3_{(1)}$ – परिवार ड.$3_{(n)}$ >	< परिवार ड.$4_{(1)}$ – परिवार ड.$4_{(n)}$ >	< परिवार ड.$5_{(1)}$ – परिवार ड.$5_{(n)}$ >

(i) स्टार रेटिंग केवल प्रत्येक वॉटेज (आईएस 16102 (भाग 2) में परिभाषित प्रभावकारिता) के लिए ल्यूमेन/ वॉट के 0 घंटों पर प्रारंभिक परीक्षण के आधार पर दी जा सकती है

(ii) प्रत्येक समूह में केवल एक वॉट क्षमता पूरे जीवन के परीक्षण के लिए होगी।

(iii) अनुमोदन की तारीख से 3 महीने के अंदर 1000 घंटे की परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए।

(iv) घोषित जीवन की पच्चीस प्रतिशत परीक्षा रिपोर्ट अनुमोदन की तारीख से 1 वर्ष के अंदर जमा की जानी चाहिए।

(v) अतिरिक्त सीसीटी के लिए, केवल ल्यूमेन / वॉट और सीसीटी रिपोर्ट जमा की जाएगी और पुन: से जीवन की परीक्षण रिपोर्ट जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

(vi) एक अलग (उच्चतर) स्टार रेटिंग बैंड के लिए, खंड (i) से (v) में निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन किया जाएगा";

(घ) उप-पैरा 4 के उप-पैरा (6) और (7) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखे जाएंगे, अर्थात्: :-

"(6) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक सेल्फ बालास्टेड एलईडी लैम्प में कम से कम 95 प्रतिशत ल्यूमेन रखरखाव 1000 घण्टों के प्रचालन पर होगा, जबकि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 के 52) की धारा 14 के खंड (घ) के अधीन विनियमों में परिभाषित मॉडलों के प्रत्येक परिवार के बीच, निर्माता मूल मॉडल के लिए 1000 घंटे की परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें मॉडलों के उक्त कथित परिवार के अनुमोदन की तारीख से तीन महीने के अंदर ल्यूमेन रखरखाव का नब्बे प्रतिशत प्रकट किया जाएगा। ।

(7) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक सेल्फ बालास्टेड एलईडी लैम्प में 6000 घण्टों के प्रचालन पर और घोषित जीवन के 25 प्रतिशत में 1000 घण्टों की अवधि सहित ल्यूमेन रखरखाव सभी संशोधनों सहित भारतीय मानक 16102 (भाग 2) के खण्ड 11.2 में निर्दिष्ट संगत लैम्प डेटा शीट में बताए गए मान से कम नहीं होगा, जबकि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 के 52) की धारा 14 के खंड (घ) के अधीन नियमों में परिभाषित मॉडल के प्रत्येक परिवार के बीच, निर्माता मॉडल के उक्त परिवार के अनुमोदन की तारीख के बारह महीनों के अंदर मूल मॉडल के लिए 6000 घंटे की परीक्षण रिपोर्ट या घोषित जीवन का पच्चीस प्रतिशत जमा करेगा।"

[फा. सं. 13/19/2015 (भाग द्वितीय)-ईसी]

राज पाल, आर्थिक सलाहकार

टिप्पण :— मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असारधारण में अधिसूचना सं. का. आ. 4097 (अ.) तारीख 28 दिसम्बर 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2019

S.O. 938(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby specifies the following energy consumption standards for star labelled self-ballasted LED lamps having power consumption in the range of 3 watts to 25 watts and for that purpose amends the Notification of the Government of India in the Ministry of Power, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 4097 (E), dated the 28th December, 2017, namely:-

2. In the said notification,-

(a) in paragraph 1, for the words "every self-ballasted LED lamps", the following shall be substituted, namely:-

"Every self-ballasted LED lamp having rated power from 3 watts to 25 watts";

(b) in paragraph 2, clause (a) shall be relettered as clause (aa) and before clause (aa) so relettered the following clause shall be inserted, namely:-

'(a) initial luminous flux means the luminous flux of the lamp at 0 hour of testing. It is measured in lumens (lm), the initial luminous flux of each individual LED lamp in the measured sample shall not be less than the rated luminous flux by more than 10 per cent. and the average initial luminous flux of the measured samples shall not be less than the rated luminous flux by more than 7.5 per cent;' ;

(c) after sub-paragraph (3) and the Table thereof, the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-

"(3A) The family of models (grouping guidelines) for registration purpose shall be considered as per the following Table and procedure, namely:-

"Table

Group Designation Code	**Lumen Range**	**CCT 2700K- <3500K**	**CCT 3500K- <5000K**	**CCT 5000K- <6500K**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
A	100-500	<family $A3_{(1)}$ – family $A3_{(n)}$ >	<family $A4_{(1)}$ – family $A4_{(n)}$ >	<family $A5_{(1)}$ – family $A5_{(n)}$ >
B	501-1000	<family $B3_{(1)}$ – family $B3_{(n)}$ >	<family $B4_{(1)}$ – family $B4_{(n)}$ >	<family $B5_{(1)}$ – family $B5_{(n)}$ >
C	1001-1500	<family $C3_{(1)}$ – family $C3_{(n)}$ >	<family $C4_{(1)}$ – family $C4_{(n)}$ >	<family $C5_{(1)}$ – family $C5_{(n)}$ >
D	1501-2500	<family $D3_{(1)}$ – family $D3_{(n)}$ >	<family $D4_{(1)}$ – family $D4_{(n)}$ >	<family $D5_{(1)}$ – family $D5_{(n)}$ >
E	>2500	<family $E3_{(1)}$ – family $E3_{(n)}$ >	<family $E4_{(1)}$ – family $E4_{(n)}$ >	<family $E5_{(1)}$ – family $E5_{(n)}$ >

(i) Star rating can be given only on the basis of initial testing at 0 hours of lumen/watt for each wattage (the efficacy as defined in IS 16102 (Part 2)).

(ii) Only one wattage in each group will go for complete life test.

(iii) 1000 hours test report to be submitted within 3 months from the date of approval.

(iv) Twenty five per cent. of declared life test report to be submitted within 1 year from the date of approval.

(v) For additional CCT, only the lumen/watt and CCT report shall be submitted and there shall not be any requirement to submit the life test report again.

(vi) For a different (higher) star rating band, the procedure specified in clause (i) to (v) shall be complied with";

(d) For sub-paragraph (6) and (7) of paragraph 4, the following sub-paragraphs shall be substituted, namely:-

"(6) It shall be ensured that every self-ballasted LED lamp shall have at least ninety five per cent. lumen maintenance at 1000 hours of operation however among each family of models defined in regulations under clause (d) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the manufacturer shall submit the 1000 hours test report for the parent model revealing ninety five per cent. of lumen maintenance, within three months of the date of approval of the aforesaid family of models.

(7) It shall be ensured that every self-ballasted LED lamp at 6000 hours of operation or at twenty five per cent. of declared life, including the ageing period of 1000 hours, shall not have lumen maintenance less than the value indicated in the relevant lamp data sheet as specified in clause 11.2 of Indian Standard IS16102 (part 2) with all amendments, however among each family of models defined in regulations under clause (d) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), manufacturer shall submit 6000 hours test report or at twenty five per cent. of declared life for the parent model, within twelve months of the date of approval of the aforesaid family of models."

[F. No. 13/19/2015 (Part II)-EC]

RAJ PAL, Economic Adviser

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2019.02.22 16:50:56 +05'30'

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2017

का.आ. 4097(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से स्टार लेबल युक्त स्वत: धारा स्थिरक एलईडी लैम्प के लिए निम्नलिखित ऊर्जा खपत मानक निर्दिष्ट किए गए हैं अर्थात् : -

1. प्रत्येक स्वत: धारा स्थिरक एलईडी लैम्प जो एकल अवस्था प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति पर सामान्य प्रकाश सेवाओं के लिए है और 250 वोल्ट, 50 हर्ट्ज सहित विनिर्मित किया गया है, भारत में वाणिज्यिक रूप से खरीदा या बेचा जा रहा है वह -

(i) सभी संशोधनों सहित भारतीय मानक 16102 (भाग 1) की धारा 16.1 और 16.2 में निहित अनुपालन आवश्यकताएं पूरी करे;

(ii) सभी संशोधनों सहित भारतीय मानक 16102 (भाग 2) में विनिर्दिष्ट निष्पादन आवश्यकताएं पूरी करे;

(iii) सभी संशोधनों सहित भारतीय मानक 16102 (भाग 1) के अनुसार सुरक्षा आवश्यकताएं पूरी करे;

2. (1) परिभाषाएं : इस आदेश में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) 'जीवन' से अभिप्रेत है समय की वह अवधि जिसके दौरान एलईडी लैम्प मानक परीक्षण परिस्थितियों के अधीन शुरुआती ल्यूमिनस फ्लक्स की 70 प्रतिशत से अधिक मात्रा प्रदान करता है;

(ख) 'ल्यूमिनस क्षमता' से अभिप्रेत है लैम्प द्वारा खपत की गई लैम्प की ल्यूमिनस फ्लक्स प्रति यूनिट विद्युत और ल्यूमिनस क्षमता की यूनिट जो ल्यूमेन प्रति वॉट (एलएम / वॉट) होगी;

(ग) 'ल्यूमिनस फ्लक्स' से अभिप्रेत है एक प्रकाश स्रोत या एक ल्यूमिनायर द्वारा दी गई या सतह द्वारा ग्रहण की गई रोशनी जो दिशा से परे है, जिसमें वह वितरित होती है और ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई ल्यूमेन (एलएम) है;

(घ) **"ल्यूमेन अनुरक्षण"** से अभिप्रेत है ऐसा ल्यूमिनस फ्लक्स जो लैम्प के ल्यूमिनस फ्लक्स के प्रारंभिक मूल्य द्वारा विभाजित किए गए एलईडी लैम्प के जीवन काल से है**,** जो प्रारंभिक ल्यूमिनस फ्लक्स के एक्स प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त है**;**

(ङ) **"निर्धारित ल्यूमिनस फ्लक्स"** लैम्प पर चिह्नांकित किया गया ल्यूमिनस फ्लक्स या पूर्तिकार द्वारा की गई घोषणा अभिप्रेत है**;**

(च) **"निर्धारित वाट-संख्या"** लैम्प पर चिह्नांकित किये गये वाट-संख्या से अभिप्रेत है**;**

(छ) "स्वत: धारा स्थिरक एलईडी लैम्प" से अभिप्रेत ऐसी इकाई जो स्थायी रूप से नुकसान किए बिना खोली नहीं जा सकती है, लैम्प आवरण के साथ उपबंधित है और एलईडी प्रकाश स्रोत के साथ है और प्रकाश स्रोत के स्थायी प्रचालन के लिए कोई अतिरिक्त आवश्यक तत्व है;

(ज) "वाट-संख्या" से अभिप्रेत बिजली माप के लिए प्रयुक्त एसआई व्युत्पन्न इकाई है और विद्युत के निबंधनों के अनुसार वाट-संख्या वोल्टेज (वाट में) से गुणित धारा (एम्पीयर) के बराबर है।

2. उन शब्दों और पदों से, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु इसके मानक में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो सभी संशोधनों सहित भारतीय मानक 16102 (भाग I) और भारतीय मानक 16102 (भाग II) में है।

3. स्टार रेटिंग या स्टार स्तर योजना – स्वत: धारा स्थिरक एलईडी लैम्प पर चिपकाए गए लेबल एक वर्ष के अंतरालों के साथ अधिकतम पांच स्टार प्रदर्शित किए जाएंगे और ल्यूमिनस क्षमता के आधार पर लैम्प एक स्टार से पांच स्टार तक निर्धारित किए जायेंगे।

(2) प्रत्येक स्वत: धारा स्थिरक एलईडी लैम्प ऊर्जा दक्षता मानक को निर्दिष्ट करेंगे, जो पैरा 1 के खण्ड (ii) में अधिकथित अपेक्षाओं का पालन करती है।

(3) स्वत: धारा स्थिरक एलईडी लैम्प के स्टार स्तर विनिर्दिष्ट निम्नलिखित सारणी 3.1 के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे :

सारणी 3.1

(अधिसूचना की तारीख से 31 दिसम्बर, 2019 तक वैध)

स्टार स्तर	**निर्धारित ल्यूमिनस क्षमता (ल्यूमेन / वॉट)**
1 **स्टार***	≥68 और<79
2 **स्टार** **	≥79 और <90
3 **स्टार** ***	≥90 और <105
4 **स्टार** ****	≥105 और <120
5 **स्टार** *****	≥120

(4) उक्त स्वत: धारा स्थिरक एलईडी लैम्प के न्यूनतम ऊर्जा पालन स्तर को उन्नति करने की दृष्टि से, सारणी 3.1 में विनिर्दिष्ट स्टार 1 के लिए स्वत: धारा स्थिरक एलईडी लैम्प की विशिष्टियों को प्रदर्शित करने की अनुज्ञा को इस अधिसूचना के प्रवृत्त होने के प्रभाव के साथ अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(5) प्रत्येक दो वर्षों में स्टार स्तर योजना का पुनर्विलोकन होगा।

4. परीक्षण और सहनशीलता- (1) स्वत: धारा स्थिरक एलईडी लैम्प के स्टार स्तर के निर्धारण के प्रयोजन के लिए सारणी 4.1 में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट परीक्षण मानक प्रयुक्त होंगे, अर्थात् :-

सारणी 4.1

क्रम सं.	परीक्षण मानदंड	परीक्षण मानक
1	वाट-संख्या	सभी संशोधनों के साथ भारतीय मानक 16102 (भाग 2) सामान्य प्रकाश सेवाओं के लिए स्वत: धारा स्थिरक एलईडी लैम्प : भाग 2 पालन की अपेक्षाएं
2	प्रारंभिक ल्यूमिनस फ्लक्स	
3	रंजक क्रोमेटिसिटी	
4	रंजक प्रस्तुति सूचकांक (सीआरआई)	
5	शक्ति गुणक	
6	जीवन	
7	लैम्प क्षमता	लैम्प क्षमता निर्धारित बोल्टेज और आवृत्ति पर ल्यूमेन आउटपुट और वाटेज के मापे गये मान से प्राप्त की जायेगी।

8	फोटो जैविक सुरक्षा परीक्षण	भारतीय मानक 16108 एलईडी और एलईडी सिस्टम की फोटो जैविक सुरक्षा
9	अनुकूल	भारतीय मानक 14700 (भाग 3 / धारा 2) विद्युतचुंबकीय अनुकूलता : भाग 3 सीमाएं, अनुकूल धारा उत्सर्जन के लिए धारा 2 की सीमाएं
10	रेडियो विघ्न लक्षण के मापन की सीमाएं और रीति : भाग 5 वैद्युत प्रकाश और समरूप उपस्कर	रेडियो विघ्न लक्षण के मापन की भारतीय मानक 6873 (भाग 5) की सीमाएं और रीति : भाग 5 वैद्युत प्रकाश और समरूप उपस्कर
11	बीम कोण (परीक्षण रिपोर्ट केवल दिशात्मक एलईडी लैम्प के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए)	भारतीय मानक 16103 (भाग 2) सामान्य प्रकाश भाग 2 के लिए एलईडी माड्यूल : पालन की अपेक्षाएं

(2) सभी संशोधनों के साथ भारतीय मानक 16102 (भाग 2) के खण्ड 17 के अनुसार नमूनों की संख्या होगी।

(3) स्टार रेटिंग लेवलों के लिए कोई ऋणात्मक छूट नहीं होगी।

(4) सभी संशोधन के साथ भारतीय मानक 16102 (भाग 2) के खण्ड 18.2 के अनुसार अनुपालन को अर्जित किया जाएगा और एक बैच में अर्ह लैम्पों द्वारा प्रत्येक स्टार रेटिंग लेवल के लिए न्यूनतम दहलीज़ सीमा को पूरा किया जाएगा।

(5) विनिर्माण छूट और अन्य विविधताओं के विस्तार को विनिर्माता द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं को पूर्णांक बनाने के विचार सहित स्टार रेटिंग के निर्धारण के लिए विचार में लिया जाएगा, -

(क) विद्युत खपत (वॉट), ल्यूमिनस फ्लक्स (ल्यूमेंस), ल्यूमिनस क्षमता (एलएम / डब्ल्यू) के मान दशमलव के एक स्थान तक निकटतम पूर्ण संख्या तक पूर्णांकित किए जाएंगे;

(ख) सभी मानों को भारतीय मानक 2 : 1960, पुन: पुष्टि 2000, संस्करण 2.3 के अनुसार संबंधित महत्वपूर्ण अंकों तक पूर्णांकित किया जाएगा;

(6) प्रत्येक स्वत: धारा स्थिरक एलईडी लैम्प में कम से कम 95 प्रतिशत ल्यूमेन रखरखाव 1000 घण्टों के प्रचालन पर होगा।

(7) प्रत्येक स्वत: धारा स्थिरक एलईडी लैम्प में 6000 घण्टों के प्रचालन पर या घोषित जीवन के 25 प्रतिशत में 1000 घण्टों की आयु अवधि सहित ल्यूमेन रखरखाव सभी संशोधनों सहित भारतीय मानक 16102 (भाग 2) के खण्ड 13.1 में निर्दिष्ट संगत लैम्प डेटा शीट में बताए गए मान से कम नहीं होगा। और इसे अनुलग्नक क में दिए गए निर्धारित प्ररूप में अनुमोदन की तिथि से 12 माह के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा।

5. परीक्षण रिपोर्ट – उपाबंध ख में दिए गए निर्धारित प्ररूप में जांचे गए नमूने के परिणामों की रिपोर्ट की जाएगी।

उपाबंध क

[पैरा (4) के उप पैरा (7) देखें]

ल्यूमेन रखरखाव का अनुपालन रिपोर्ट करने के लिए प्ररूप

दिनांक:

परीक्षण विवरण:

(i) प्रारंभिक ल्यूमिनस फ्लक्स (ल्यूमेन) का निर्धारित मान :

(ii) ल्यूमेन रखरखाव की श्रेणी:

(iii) प्रचालन के 6000 घंटे या घोषित जीवन के 25% के बाद ल्यूमेन रखरखाव का मापा गया मान :

(iv) 6000 घंटों में ल्यूमेन रखरखाव की जांच रिपोर्ट संलग्न (हां / नहीं)

उपाबंध ख

[पैरा 5 देखें]

परीक्षणों के परिणाम की रिपोर्टिंग के लिए प्ररूप

(प्रत्येक प्रकार/मॉडल के लिए अलग परीक्षण रिपोर्ट प्ररूप उपयोग किया जाए)

परीक्षण रिपोर्ट सं. **तिथि :**

1. **स्वत: धारा स्थिरक एलईडी लैंप का विवरण**

(i) ब्रांड:
(ii) मॉडल का नाम/संख्या : (यदि लागू हो) :
(iii) निर्धारित वाट संख्या : (वॉट्स में) :
(iv) प्रकार :
(v) निर्धारित वोल्टेज या वोल्टेज श्रेणी:
(vi) निर्धारित ल्यूमिनस फ्लक्स (ल्यूमेन में) :
(vii) निर्धारित ल्यूमिनस क्षमता (ल्यूमेन / वॉट में) :

2. परीक्षण सारांश

(i) निर्माता / प्रयोगशाला का नाम और पता:

(ii) नमूना प्राप्त होने की तिथि:

(iii) परीक्षण की तिथि :

(iv) परीक्षण कार्मिक का नाम:

(v) सुसंगत मानकों के अनुसार परीक्षण की प्रकृति और किए गए परीक्षण के विवरण :

(vi) सांकेतिक परीक्षण की स्थिति :

(vii) निरीक्षण और परीक्षण परिणाम :

क्रम संख्या	परीक्षण पैरामीटर और सुसंगत इकाइयां	मापे गए मान	निर्धारित / घोषित मान (मानकों के अनुसार छूट लागू करने के बाद)	सुसंगत परीक्षण मानक
1	बिजली की खपत (वॉट)			सभी संशोधनों के साथ भारतीय मानक 16102 (भाग 2)
2	प्रारंभिक ल्यूमिनस फ्लक्स (ल्यूमेन)			

3	1000 घंटों (ल्यूमेन) पर ल्यूमिनस फ्लक्स			सामान्य प्रकाश सेवाओं के लिए स्वत: धारा स्थिरक एलईडी लैम्प: भाग 2 पालन की अपेक्षाएं
4	रंग क्रोमैटिसिटी सुरक्षा आवश्यकता के अनुपालन (हां/ नहीं) [यदि हां, तो परीक्षण रिपोर्ट का संबंधित भाग संलग्न करें]			
5	रंग रेंडरिंग इंडेक्स (सीआरआई) सुरक्षा आवश्यकता के अनुपालन (हां / नहीं) [यदि हां, तो परीक्षण रिपोर्ट का संबंधित भाग संलग्न करें]			
6	जीवन काल (घंटे)			
7	विद्युत कारक			
8	लैम्प क्षमता (ल्यूमेन / वॉट)			लैम्प क्षमता निर्धारित वोल्टेज और आवृत्ति पर ल्यूमेन आउटपुट और वॉटेज के मापे गए मान से प्राप्त की जाएगी।
9	फोटो जैविक परीक्षण सुरक्षा आवश्यकता के अनुपालन (हां/ नहीं) [यदि हां, तो परीक्षण रिपोर्ट का संबंधित भाग संलग्न करें]			भारतीय मानक 16108 एलईडी और एलईडी सिस्टम की फोटो जैविक सुरक्षा
10	सुरक्षा आवश्यकता के साथ हार्मोनिक्स का अनुपालन (हां/ नहीं) [यदि हां, तो परीक्षण रिपोर्ट का संबंधित भाग संलग्न करें]			भारतीय मानक 14700 (भाग 3 / धारा 2) विद्युतचुंबकीय अनुकूलता: भाग 3 सीमाएं, हार्मोनिक करंट उत्सर्जन के लिए धारा 2 सीमाएं

11	रेडियो आवृत्ति विघ्न का उत्सर्जन सुरक्षा आवश्यकता के अनुपालन (हां/ नहीं) [यदि हां, तो परीक्षण रिपोर्ट का संबंधित भाग संलग्न करें]			रेडियो विघ्न विशेषताओं की सीमाएं तथा माप की विधियां : भाग 5 विद्युत प्रकाश और समरूप उपकरण
12	बीम कोण (परीक्षण रिपोर्ट केवल दिशात्मक एलईडी लैंप के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए)			भारतीय मानक 16103 (भाग 2) सामान्य प्रकाश भाग 2 के लिए एलईडी मॉड्यूल: पालन की अपेक्षाएं

[फा. सं. 13/19/2015-ईसी]

राज पाल, आर्थिक सलाहकार

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2017

S.O. 4097(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby specifies the following energy consumption standards for star labelled self-ballasted LED lamps, namely:-

1. Every self-ballasted LED lamp for general lighting services that works on single phase alternating current supply up to and including 250V, 50Hz, being manufactured, commercially purchased or sold in India shall-

   (i) meet the compliance requirements contained in section 16.1 and 16.2 of Indian Standard 16102 (part 1) with all amendments;

   (ii) meet all the performance requirements as specified in Indian Standard 16102 (part 2) with all amendments;

   (iii) meet the safety requirement as per Indian Standard 16102 (part I) with all amendments.

2. (1) Definitions: In this order, unless the context otherwise requires,-

   (a) "life" means length of time during which a LED lamp provides more than 70 per cent. of the initial luminous flux, under standard test conditions;

   (b) "luminous efficacy" means luminous flux of lamp per unit power consumed by the lamp and the unit of luminous efficacy shall be lumen per Watt (lm/W);

   (c) "luminous flux" means the light given by a light source or a luminaire or received by a surface irrespective of the directions in which it is distributed and the unit of the luminous flux is the lumen (lm);

   (d) "lumen maintenance" means luminous flux at a given time in the life of LED lamp divided by the initial value of the luminous flux of the lamp, which is expressed as a percentage x of the initial luminous flux;

   (e) "rated luminous flux" means the luminous flux marked on the lamp or declared by the supplier;

   (f) "rated wattage" means the wattage marked on the lamp;

(g) "self-ballasted LED lamp" means a unit which cannot be dismantled without being permanently damaged, provided with a lamp cap and incorporating a LED light source and any additional elements necessary for stable operation of the light source;

(h) "wattage" means the SI derived unit used to measure power and in terms of electricity, wattage is equal to current (in amperes) multiplied by voltage (in volts).

(2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in this standard shall have meanings respectively assigned to them in Indian Standard 16102 (part I) and Indian Standard 16102 (part II) with all amendments.

3. Star rating or star level plan.- (1) The label to be affixed on self-ballasted LED lamp shall display a maximum of five stars with an interval of one star, and the lamp shall be rated from star one to star five based on the luminous efficacy.

(2) Every self-ballasted LED lamp shall refer to energy consumption standard which meets the performance requirements as laid down in clause (ii) of paragraph 1.

(3) The star level of the self-ballasted LED lamp shall be determined as specified in the following Table 3.1:

Table 3.1
(Valid from the date of notification to 31st December, 2019)

Star Levels	Rated Luminous Efficacy (Lumen/Watt)
1 Star*	≥68 and <79
2 Star**	≥79 and <90
3 Star***	≥90 and <105
4 Star****	≥105 and <120
5 Star*****	≥120

(4)The permission for display of particulars on self-ballasted LED lamps for 1 star specified in Table 3.1 shall not be permitted with effect from coming in to force of this notification, with a view to upgrade the minimum energy performance level of such self-ballasted LED lamps.

(5) The star level plan shall be reviewed every two years.

4. Testing and tolerance.- (1) For the purpose of determining the star level of a self-ballasted LED lamp, the following test standards specified in Table 4.1 shall be used, namely:-

Table 4.1

S. No	Test parameters	Test Standards
1	Wattage	Indian Standard 16102 (part 2) with all amendments Self-ballasted LED lamps for general lighting services: Part 2 Performance requirements
2	Initial Luminous Flux	
3	Colour chromaticity	
4	Colour rendering index (CRI)	
5	Power factor	
6	Life	
7	Lamp efficacy	The lamp efficacy shall be derived from the measured value of lumen output and the wattage at the rated voltage and frequency
8	Photo biological safety test	Indian Standard 16108 Photo biological safety of LED and LED systems.
9	Harmonics	Indian Standard 14700 (part 3/sec 2) Electromagnetic compatibility: Part 3 Limits, Section 2 Limits for harmonic current emissions
10	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics : Part 5 Electrical lighting and similar equipment	Indian Standard 6873 (part 5) Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics: Part 5 Electrical lighting and similar equipment

11	Beam Angle (Test to be carried out only for directional lamps)	Indian Standard 16103 (part 2) LED modules for general lighting Part 2: Performance requirements

(2) The number of samples shall be as per the clause 17 of Indian Standard 16102 (part 2) with all amendments.

(3) There shall be no negative tolerance for the star rating levels.

(4) Compliance shall be considered to be achieved as per clause 18.2 of Indian Standard 16102 (part 2) with all amendments and the qualifying lamps in a batch shall meet the minimum threshold limit for each star rating level.

(5) The scope for manufacturing tolerance and other variations shall be accounted by the manufacturer when determining the star rating keeping in view the following points for rounding off,-

(a) the values of power consumption (Watts), luminous flux (lumens), luminous efficacy (lm/W) shall be rounded off to nearest whole number up to one decimal places;

(b) all the values shall be rounded off to respective significant figures, as per Indian Standard 2:1960, reaffirmed 2000, Edition 2.3;

(6) Every self-ballasted LED lamps shall have at least 95 per cent. lumen maintenance at 1000 hours of operation.

(7) Every self-ballasted LED lamps at 6000 hours of operation or at 25 per cent. of declared life, including the ageing period of 1000 hours, shall not have lumen maintenance less than the value indicated in the relevant lamp data sheet as specified in clause 13.1 of Indian Standard 16102 (part 2) with all amendments and the same shall be furnished within twelve months from the date of approval on the prescribed format given in Annexure A.

5. Test report. –The results of the sample tested shall be reported on the prescribed format given in Annexure B.

Annexure A

[*See* sub-paragraph (7) of paragraph (4)]

Form for reporting the compliance of lumen maintenance

Date:

Test details:

(i) Rated value of initial luminous flux (Lumen):

(ii) Category of Lumen Maintenance:

(iii) Measured value of the lumen maintenance at 6000 hours of operation or after 25% of the declared life:

(iv) Test report of lumen maintenance at 6000 hours attached (Yes/No)

Annexure B

[*See* paragraph 5]

Form for reporting the results of tests

(Separate test report format shall be used for each type/models)

Test Report No. **Date:**

3. Details of self-ballasted LED lamps

(i) Brand:

(ii) Model name/number: (if applicable)

(iii) Rated Wattage (in Watts):

(iv) Type:

(v) Rated voltage or voltage range:

(vi) Rated luminous flux (in lumens):

(vii) Rated luminous efficacy (in lumens/Watt):

4. Test summary

(j) Manufacturer/ Laboratory Name and address:

(ii) Date of receipt of sample:

(iii) Date of test:

(iv) Name of Testing Personnel:

(v) Nature of Test and details of test conducted as per the relevant standards:

(vi) Nominal test condition:

(vii) Observations and Test results:

S. No.	Test parameters & relevant units	Measured Values	Rated/Declared Values (after applying tolerances as per standards)	Relevant Test Standard
1	Power consumption (Watt)			Indian Standard 16102 (part 2) with all amendments Self-ballasted LED lamps for general lighting services: Part 2 Performance requirements
2	Initial luminous flux (Lumen)			
3	Luminous flux at 1000 hours (Lumen)			
4	Colour chromaticity Compliance with safety requirement (Yes/No) [If yes, attach relevant part of test report]			
5	Colour rendering index (CRI) Compliance with safety requirement (Yes/No) [If yes, attach relevant part of test report]			
6	Life (hours)			
7	Power factor			
8	Lamp Efficacy (Lumen/Watt)			The lamp efficacy shall be derived from the measured value of lumen output and wattage at the rated voltage and frequency.
9	Photo biological test Compliance with safety requirement (Yes/No) [If yes, attach relevant part of test report]			Indian Standard 16108 Photo biological safety of LED and LED system
10	Harmonics compliance with safety requirement (Yes/No) [If yes, attach relevant part of test report]			Indian Standard 14700 (part 3/sec 2)Electromagnetic compatibility: Part 3 Limits, Section 2 Limits for harmonic current emissions
11	Emission of radio frequency disturbances Compliance with safety			Indian Standard 6873 (part 5) Limits and methods of measurement of

	requirement (Yes/No) [If yes, attach relevant part of test report]			radio disturbance characteristics: Part 5 Electrical lighting and similar equipment
12	Beam Angle (Test report to be submitted only for directional LED lamps)			Indian Standard 16103 (part 2) LED Modules for general lighting Part 2: Performance requirements

[F. No. 13/19/2015-EC]

RAJ PAL, Economic Adviser

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.